

THE NATIONAL INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL EDUCATION AND RESEARCH STATUTES¹

[Updated as on 15.5.2025]

In pursuance of sub-section (1) of section 36 of the National Institutes of Pharmaceutical Education & Research Act, 1998 (13 of 1998), the Central Government hereby publishes the following first Statutes of the National Institute of Pharmaceutical Education & Research framed under Sub-section (1) of Section 27 of the said Act by the Board of Governors of the said Institute with the previous approval of the Visitor, namely:—

1. Short Title.—These Statutes shall be called the National Institute of Pharmaceutical Education and Research Statutes.

2. Definitions.—

- (a) ‘Act means the National Institutes of Pharmaceutical Education & Research Act, 1998.
- (b) ‘Academic Planning and Development Committee’ means the Academic Planning and Development Committee of the Institute;
- (c) ‘Authorities’, ‘Officers’ and ‘Professors’ respectively means the authorities, officers and professors of the Institute;
- (d) ‘Board’ means the Board of Governors of the Institute;
- (e) ‘Chairman’ means the Chairman of the Board;
- (f) ‘Dean’ means the Dean of the Institute;
- (g) ‘Director’ means the Director of the Institute;
- (h) ‘Finance Committee’ means the Finance Committee of the Institute;
- (i) ‘Head of the Department’ means the Head of the concerned department of the Institute;
- ²[(j) ‘Institute’ means any of the institutions mentioned in column (3) of the Schedule to the said Act;]
- (k) ‘Laboratory Services, Buildings and Works Committee’ means the Laboratory Services, Buildings and Works Committee of the Institute;
- (l) ‘Ordinances’ means the Ordinances of the Institute;

¹ Principal Statutes were published in the Gazette of India, Weekly, Part II, section 3, sub-section (i), dated 8.11.2003, *vide* number G.S.R.391, dated 30.10.2003, and subsequently amended *vide* notification number G.S.R.433(E), dated 3.7.2014 (w.e.f. 7.7.2014), No. G.S.R. 355, dated 27.11.2019 (w.e.f. 30.11.2019), No. G.S.R. 113, dated 24.8.2022 (w.e.f. 27.8.2022), No. G.S.R.694 (E), dated 13.9.2022 (w.e.f. 13.9.2022) and No. 692(E), dated 25.9.2023 (w.e.f. 26.9.2023).

² Subs. *vide* notification number G.S.R. 113, dated 24.8.2022 (w.e.f. 27.8.2022). Before substitution, clause (j) stood as under:

“(j) ‘Institute’ means the National Institute of Pharmaceutical Education & Research, Sahibzada Ajit Singh Nagar incorporated under the National Institute of Pharmaceutical Education & Research Act 1998.

- (m) 'Principal Library and Information Officer' means the Principal Library and Information Officer of the Institute;
- (n) 'Principal Scientific Officer' means the Principal Scientific Officer of the Institute.
- (o) 'Registrar' means the Registrar of the Institute;
- (p) 'Senate' means the Senate of the Institute; and
- (q) 'Warden' in relation to a Hall of Residence of the Institute means a Warden thereof.

3. THE BOARD, THE SENATE AND THE COMMITTEES

3.1 The Board

3.1.1 Composition

The composition of the Board shall be in accordance with the provision of Section 4(3) of the Act.

3.1.2 Functions and powers

In addition to the provision under Section 8 of the Act, the Board shall have the following powers:

- (a) to create posts subject to availability of funds, to determine the number and emoluments for such posts and to define the duties and conditions of service of the employees of the Institute;
- (b) to appoint Professor, Associate Professors, Assistant Professors and other staff in equivalent grades, as may be necessary on the recommendation of the selection committees constituted for the purpose;
- (c) to regulate and enforce discipline among employees in the accordance with the Statutes, the Ordinances and the Regulations;
- (d) to manage and regulate the finances, accounts, investments, property, business and all other administrative affairs of the Institute and for that purpose, to appoint such agents as it may think fit;
- (e) to fix the limit of the recurring and the non-recurring expenditure for a year on the recommendations of the Finance Committee;
- (f) subject to the provisions of the Act, to invest any money belonging to the Institute including any unapplied income in any manner it thinks fit or in the purchase of immovable property in India;
- (g) Subject to the provisions of the Act to transfer or accept transfers of any movable or immovable property on behalf of the Institute;
- (h) to provide buildings, premises, furniture, apparatus and other means needed for carrying on the work of the Institute;
- (i) to enter into, vary, carry out and cancel contracts on behalf of the Institute;

- (j) to entertain, adjudicate upon and if thought fit, to redress any grievances of the employees of the institute;
- (k) to select a common seal for the Institute and provide for the custody and use of such seal;
- (l) to delegate any of its powers to the Chairman, the Director, the Dean, the Registrar or such other employee or authority of the Institute or to a committee appointed by it, as it may deem fit;
- (m) To exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed on it by the Act, or the Statutes.

3.1.3 Meetings

- (a) The Board shall ordinarily meet three times during a calendar year.
- (b) The meetings of the Board shall be convened by the Chairman either on his own initiative or at the request of the Director or on a requisition signed by not less than three members of the Board. A requisitioned meeting shall be a special meeting to discuss only those items of agenda for which the requisition is made. The requisitioned meeting shall be convened by the Chairman on a date and time convenient to him within fifteen days of receipt of requisition for such a meeting.
- (c) The requisite quorum for a Board meeting shall be 1/3rd of the actual strength of the Board.
- (d) The Registrar shall invite members of the Board for its meeting by giving not less than three weeks notice from the date of such meeting. The members shall attend the meeting in their official/personal capacities as the case may be. However, period of the notice may be reduced or waived with the prior consent of the Chairman, Director and three other members of the Board.
- (e) The agenda shall be circulated by the Registrar to the members of the Board at least a week before the meeting. The Chairman may permit inclusion of any item for which due notice could not be given.
- (f) The Board shall decide all issues by a majority of the votes of the members present including the Chairman. If the votes be equally divided, the Chairman shall have a casting vote.
- (g) The Chairman, shall preside over meetings of the Board. The Director shall preside over meetings in the absence of the Chairman.

Provided that if the Chairman and the Director are absent and the issue to be considered is urgent and important, the members present shall elect one from amongst themselves to preside over the meeting to consider the particular issue.

- (h) The ruling of the Chairman in a meeting in regard to all questions of procedure shall be final.

- (i) If a member of the Board fails to attend three consecutive meetings without leave of absence from the Board he shall cease to be a member of the Board.
- (j) All orders and decisions of the Board shall be authenticated by the signature of the Registrar or any other person authorized by the Board in this behalf.
- (k) The minutes of the proceedings of a meeting of the Board shall be drawn up by the Registrar and circulated to all members of the Board present. The minutes along with amendments, if any, suggested shall be placed for confirmation at the next meeting of the Board. After the minutes are confirmed and signed by the Chairman of the Board, they shall be recorded in a minute book which shall be kept open for inspection of the members of the Board at all times during office hours.

3.2 The Senate

3.2.1 Composition

In accordance with Section 13 of the Act the following shall be the members of the Senate:

- (a) Director, who shall be the Chairman of the Senate;
- (b) Dean,
- (c) Five Professors of the Institute nominated in terms of Section 13(c) of the Act.
- (d) Three persons, nominated in terms of Section 13(d) of the Act.
- (e) One Associate Professor of the Institute appointed by rotation;
- (f) One Assistant Professor of the Institute by rotation;
- (g) Head of the Department of any department un-represented by the above.

3.2.2 Functions

Subject to the provisions of the Act, the Senate shall:

- (a) frame and revise curricula and syllabi for the courses of studies for the various departments;
- (b) make arrangements for the conduct of examinations;
- (c) declare the results of the examinations or to appoint committees or officers to do so and to make recommendations to the Board regarding conferment of degrees and diplomas;
- (d) appoint Advisory Committees or Expert Committees or both for the Departments/Centers of the Institute to make recommendations on academic matters connected with their working; The Head of Departments/Centres concerned shall act as convenor of such Committees;

- (e) appoint committees from amongst faculty members of the Institute and experts from outside to advise on such specific academic matters as may be referred to any such Committee by the Senate;
- (f) consider the recommendations of the Advisory Committees attached to various Departments/Centres and that of expert and other Committees and take such action as required;
- (g) periodically review the working of the Departments/Centres and take appropriate action as required;
- (h) review periodically the working of the Library and Information Services/Central Instrumentation Center and any other non-teaching department/centre and take such action as required;
- (i) frame such regulations and rules consistent with the Statutes and the Ordinances regarding the functioning of the Institute, admission, discipline, attendance, award of fellowship, scholarships studentships, medals and prizes, fees, residences, concessions, and campus life attendance;
- (j) exercise general supervision over the academic policies of the Institute and to give directions regarding method of instruction and cooperative teaching among institutions;
- (k) to consider matters of general academic interest either on its own initiative or on a reference by Departments/Centres or the Board and to take appropriate action thereon;

³[(l) to nominate two professors to the Board of Governors of the Institute.]

3.2.3 Meetings

- (a) The Senate shall meet as often as necessary but not less than once in six months.
- (b) The meetings of the Senate shall be convened by the Chairman of the Senate either on his own initiative or on a requisition signed by not less than twenty per cent of the members of the Senate. A requisitioned meeting shall be a special meeting to discuss only those items of agenda for which the requisition is made. The requisitioned meeting shall be convened by the Chairman of the Senate on date and time convenient to him within fifteen days of receipt of requisition for such a meeting. At least 1/3rd of total number of members should be present in the meeting to complete quorum.
- (c) The Director shall preside over meetings of the Senate. In his absence the Dean shall preside and in the absence of both the Director and the Dean, the senior most Professor present shall preside.

³ Ins. *vide* notification number G.S.R. 113, dated 24.8.2022 (w.e.f. 27.8.2022).

- (d) The Director may call an emergency meeting of the Senate at a short notice to consider urgent issues.
- (e) The ruling of the Chairman of the Senate in regard to all questions of procedure shall be final.
- (f) The minutes of the proceedings of a meeting of the Senate shall be drawn up by the Registrar and circulated to all members of the Senate. The minutes along with amendments, if any, suggested shall be placed for confirmation at the next meeting of the Senate. After the minutes are confirmed and signed by the Chairman of the Senate, they shall be recorded in a minute book which shall be kept open for inspection of the members of the Senate at all times during office hours.
- (g) All orders and decisions of the Senate shall be authenticated by the signature of the Registrar or any other person authorized by the Senate in this behalf.

3.3 Academic Planning and Development Committee.

It is hereby declare that the Academic Planning and Development Committee shall also be an authority within the meaning of Section 12 of the Act.

3.3.1 Composition

3.3.1.1 The Committee shall consist of the following persons:

- (a) An eminent academician/scientist/technologist of cognate disciplines, to be nominated by the Board of Governors from outside the Institute to be the Chairman of the said Committee.
- (b) the Director of the Institute;
- (c) one Professor of the institute nominated by the Board in consultation with the Director;
- (d) six external experts representing different disciplines of pharmaceutical and allied sciences, from academic and research Institutions and from pharmaceutical industries to be nominated by the Board on the recommendation of the Director; and
- (e) the Dean, who shall be the member secretary;

The committee shall be reconstituted every three years, one third of the members nominated under clause 3.3.1.1 (d) will retire each year and be replaced by fresh nomination. However, in the first Committee one third of the members will retire after one year and another one third after two years respectively.

3.3.2 Functions

- (a) To aid and advise the Board on academic planning and development and to monitor the academic research and consultancy activities of the Institute.
- (b) To recommend to the Board with regard to (i) the creation of posts on the staff and abolition thereof, and (ii) the emoluments and duties attached to such posts.
- (c) To suggest ways and means for interdisciplinary coordination in teaching and research.

3.3.3 Meetings

- (a) The Academic Planning and Development Committee shall meet as often as necessary but not less than twice in a year.
- (b) The meetings of the Academic Planning and Development Committee shall be convened by the Director. The Dean shall preside over the meetings in the absence of the Chairman of the Committee. At least 1/3rd of total number of members should be present in the meeting to complete quorum.

3.4 Finance Committee

It is hereby declared that the Finance Committee shall be an authority within the meaning of Section 12 of the Act.

3.4.1 Composition

3.4.1.1 The Committee shall consist of the following persons:

- (a) The Director of the Institute who shall be the Chairman of the Committee;
- (b) The Dean, who shall also preside over the meeting in the absence of the Director;
- (c) The Director (Finance)/Dy. Financial Advisor of the Department of Chemicals and Petrochemicals, Government of India.
- (d) Three persons nominated by the Board to represent education, research and industry;
- (e) The Registrar who shall be the Member Secretary.

3.4.1.2 The Committee shall be reconstituted every three years.

3.4.2 Functions

- (a) to examine the accounts and to scrutinize the proposals for expenditure;
- (b) to consider the actual accounts and financial estimates of the institute and submit the same to the Board.
- (c) To fix limits of the total recurring expenditure and the total non-recurring expenditure of the year based on the income and resources of the Institute.

3.4.3 Meetings

The committee shall meet as often as necessary but not less than twice a year. At least 1/3rd of the total number of members should be present in the meeting to complete quorum.

3.5 Laboratory Services, Buildings and Works Committee

It is hereby declared that the Building and Works Committee shall also be an authority within the meaning of Section 12 of the Act.

3.5.1 Composition

The Committee shall consist of the following members:

- (a) The Director, who shall be the Chairman of Committee;
- (b) The Dean, who shall also preside over the meetings in absence of the Director;
- (c) One nominee of the Board;
- (d) Director (Finance)/Deputy Financial Advisor of the Department of Chemicals and Petrochemicals, Government of India or his nominee;
- (e) An officer of CPWD not below the rank of Superintending Engineer to be nominated by the Ministry of Urban Development, Government of India, or his nominee not less than an Executive Engineer.
- (f) One Professor of the Institute to be nominated by Board in consultation with Director of the Institute.
- (g) Chief Maintenance Engineer of the Institute.
- (h) The Registrar, who shall be the member secretary.

3.5.2 Functions

- (a) to approve all major capital works after securing from the Board the necessary administrative approval and expenditure sanction;
- (b) to give the necessary administrative approval and expenditure sanction for minor works and works pertaining to maintenance and repairs, within the grant placed at the disposal of the Institute for the purpose beyond the value of Rs.2.00 lakhs.
- (c) to record the estimates of cost of buildings and other capital works, minor works, repairs, maintenance and the like.
- (d) to make technical scrutiny as may be considered necessary by it;
- (e) to enlist suitable contractors and accept tenders and provide directions for departmental works where necessary;

- (f) to fix rates not covered by tender and settle claims and disputes with contractors;
- (g) to perform such other functions in the matter of construction of buildings and development of land for the institute as the Board may entrust to it from time to time;
- (h) to develop system for maintenance of the laboratory services of the Institute.

3.5.3 Meetings

- (a) The Committee shall meet as often as necessary but not less than twice a year. At least 1/3rd of the total number of members should be present in the meeting to complete quorum.
- (b) In emergent cases the Chairman of the Committee may exercise the powers of the Committee. Such cases shall be reported by him to the Committee and the Board at the next meeting of the Committee and of the Board.

3.6 Selection Committee

Quorum: 50% of the total strength of the members in addition to the Chairman.

There shall be selection committees for making recommendations for the appointment to the post of the Professors, Associate Professor, Assistant Professor, Registrar, Principal Library and Information Officer, Principal Scientific Officer and other posts. The Selection Committee for appointment to the posts specified in column 1 of Table 1 below shall consist of the persons specified in the corresponding entry in column 2.

TABLE	
(1)	(2)
Professor/Associate Professor/ Assistant Professor	<ul style="list-style-type: none"> - Chairman: An eminent Scientist/academician/professional/technologist nominated by the Board. - One academician scientist of repute nominated by the Board. At least two external experts in the respective specialization to be nominated by the Director. - Director, <i>ex-officio</i>.
Principal Library and Information Officer / Principal Scientific Officer / Other Technical Staff	<ul style="list-style-type: none"> (a) The Director of the Institute, who shall be the Chairman of the Committee. (b) The Dean. (c) Three experts nominated by the Director.
Registrar/Deputy Registrar/ other Administrative Staff	<ul style="list-style-type: none"> (a) The Director of the Institute. Who shall be the

	<p>Chairman of the Committee.</p> <p>(b) The Dean.</p> <p>(c) Two experts nominated by the Director.</p> <p>(d) Registrar, except for the post of Registrar, who shall also be the Secretary of the Committee.</p>
Other posts not covered by the above mentioned categories and carrying a scale of pay the Maximum of Pay exceeds Rs.3050.00 per mensem	<p>(a) Director or his nominee who shall be the Chairman of the committee.</p> <p>(b) Head of the Department concerned or the Registrar, as the case may be.</p> <p>(c) Two members from the Staff of the Institute nominated by the Director.</p>

Note 1- Within the overall provision provided by the rule the Selection Committee shall have the power to fix the initial pay of any incumbent at a stage higher than the minimum of the scale in respect of the post to which appointment can be made by the Board under the provisions of the Act.

[***]⁴ **Omitted**

Note 3- In the absence of the Director, any Member of the Staff of the Institute who is appointed to perform the current duties of the Director shall be the Chairman of the Selection Committees in the place of the Director.

Note 4- In the absence of the Dean, the Director may nominate any member of the staff of the Institute to work on the Selection Committees in his place.

Note 5- Where a post is to be filled by invitation, the Chairman may, at his discretion, constitute such ad hoc Selection Committees, as circumstances of each case may require.

Note 6- Notwithstanding anything contained in these Statutes, the Director shall have the power to make appointments of person under 'approved' projects in such manner as it may deem appropriate. The Registrar shall maintain a schedule of such 'approved' projects.

Note 7- If the post is to be filled by advertisement, the terms and conditions of the post shall be advertised by the Registrar and all applications received within the date specified in the advertisement shall be considered by the Selection Committee:

Provided that the Selection Committee may for sufficient reasons consider any application received after the date so specified.

⁴ Omitted *vide* notification number G.S.R.433(E), dated 3.7.2014 (w.e.f. 7.7.2014). Before omission, note 2 read as under:
 "Note 2 - The Selection Committee shall recommend appointment to the posts on contract basis not exceeding a period of five years and the contract may be renewed on similar terms by the Board on the recommendation of the Director."

Note 8- The Selection Committee shall examine the credentials of all persons who have applied and may also consider other suitable names suggested, if any, by a member of the Selection Committee or brought otherwise to the notice of Committee. The Selection Committee may interview any of the candidates as the Chairman may think fit, and shall make its recommendations to the Board or the Director as the case may be, the names of the selected candidates being arranged in order of merit.

Note 9- No act or proceedings of any Selection Committee shall be called in question on the ground merely of the absence of any member or members of the Selection Committee.

Note 10- The Registrar shall give notice of the meeting to the members of the Committee at least a fortnight before the date of the meeting.

Note 11- Unless otherwise provided for under these Statutes, the Selection Committee constituted for the purpose of making recommendations for appointment to a post shall be eligible to exercise its functions in relation to that post until the time the appointment is made.

Note 12- Director with the approval of the Board can relax the eligibility conditions in respect of any of the posts mentioned in paragraph 3.6.

Note 13- All appointments made at the Institute shall be reported to the Board at its next meeting.

One third of the total members of the Board, Senate and all the Committees shall form a quorum for a meeting. Provided that if a meeting is adjourned for want of quorum, it shall be held on the same day after at least half an hour from the time appointed for holding the meeting and that the members so present shall constitute the quorum.

The provisions in these Statutes regarding notices of the meetings, inclusion of items in the agenda and confirmation of the minutes applicable to the meetings of the Board shall so far as may be, be followed in connection with the meetings of the Committee.

4. RECRUITMENT OF FACULTY

4.1 A candidate is to comply with the minimum qualification and experience indicated against each of the following category of posts. However, a relaxation in qualifications and experience can be made in case of otherwise meritorious candidates, subject to the conditions laid down in these statutes else where.

4.1.1 Assistant Professor: Ph.D. with first class or equivalent grade at the preceding degree in the appropriate branch with a very good academic record throughout and at least 5 years of teaching/research/industrial experience with published work of high quality.

4.1.2 Associate Professor: Ph.D. with first class or equivalent grade at the preceding degree in the appropriate branch with a very good academic record throughout and at least 8 years

of teaching/research/industrial experience with published work of high quality and an established reputation of having made seminal contribution to knowledge in pharmaceutical and allied areas.

- 4.1.3 Professor: Ph.D. with first class or equivalent grade at the preceding degree in the appropriate branch with a very good academic record throughout and at least 10 years of teaching/research/industrial experience with published work of high quality well recognized and established reputation of having made conspicuous seminal contribution to knowledge in pharmaceutical and allied areas.
- 4.2 The recruitment shall be made on the recommendation of a Selection Committee constituted in accordance with para 3.6 of the Statutes of NIPER.
- 4.3 The recommendations of the Selection Committee shall be placed before the Board for approval.
- 4.4 Appointment of an exceptionally well qualified candidate may be made on *ad hoc*/Supernumery basis by the Director after an interview by a special committee consisting of the Director, the Dean and the Head of the concerned department.
- 4.5 The Director shall bring such *ad hoc* appointment to the notice of the Board at next meeting.
- 4.6 *Ad hoc* appointment shall not exceed 5-10% of the total faculty staff.
- 4.7 An *ad hoc* appointment shall have to go through regular selection within one year against a normal vacancy in accordance with paras 4.2 and 4.3 of the Statutes of NIPER.

5. CAREER ADVANCEMENT SCHEME:

- 5.1 There should be provision for placement in the next higher grade from Assistant Professor to Associate Professor and from Associate Professor to Professor after 5 years of satisfactory service. This should be based on a very strict selection process. The confidence in this system will depend upon putting in place an effective and well functioning system of performance appraisal. This must include consideration of the following:
 - (a) Faculty's annual appraisal reports.
 - (b) Evaluation record of each year by the Students.
 - (c) Record of publications, reports, patents etc.
 - (d) Contribution made by the faculty for development of the Institute,
 - (e) Recognition received from outside agencies in the form of projects, awards etc.

These reports and records of achievements would be examined by two external experts, whose recommendations shall be placed before the Selection Committee constituted in accordance with para 3.6 of the Statutes of the Institute. The candidates shall be interviewed by the

Selection Committee. On the recommendations of the Committee, further action to placement in the next higher grade or otherwise shall be taken.

5.2 The recommendations of the Selection Committee shall be placed before the Board for approval.

5.3 The total number of faculty position in a Department shall remain fixed but flexibility shall be allowed for upgrading the respective positions for the incumbent. This way the merit of a faculty member shall be recognized irrespective of the availability of a post in the higher cadre. This provision should be used very judiciously in the larger interest of the Institute.

5.4 The placement in the next higher grade in accordance with para 5.1 above shall not interfere with the provision of lateral entry by direct recruitment. The faculty member placed in the next higher grade under the scheme shall, however, get all the privileges of the higher post.

⁵[6. **APPOINTMENTS**

6.1 The NIPER adopts a policy of making appointments on regular basis.

6.2 A high level Committee may be constituted with the approval of NIPER, Mohali, including an officer not below the rank of Joint Secretary from the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Pharmaceuticals) which will examine and recommend the regularisation of existing contractual employees taking into account, inter-alia, the following criteria:-

- (i) whether a regular method of recruitment was followed in a fair and transparent manner while appointing the existing contractual employee;
- (ii) whether his or her past performance and the service record have been found satisfactory;
- (iii) whether he or she fulfilled the qualification provided for that particular post at the time of his or her appointment on which he or she is being considered for regularisation.]

7. SEARCH FOR NEW FACULTY MEMBERS

⁵ Subs. *vide* notification number G.S.R.433(E), dated 3.7.2014 (w.e.f. 7.7.2014). Before substitution, Statute 6 stood as under: **“6. REVIEW OF CONTRACTS OF THE FACULTY**

6.1 The NIPER adopt a policy of making appointments on contract basis. The period of contract laid is five years.

6.2 A Contract Review Committees may be constituted with the following composition:

- Director, Chairman
- Dean
- Head of the Respective Department
- Two experts from outside the NIPER

6.3 Other procedures shall be as prescribed under Clause 5.1 to 5.2 of the Statutes.”

- 7.1 The talent search need be carried out through personal contacts. If a sufficient number of prospective candidates can be identified abroad, a trip by the Director can be organized for a visit to interview the candidates and determine their suitability.
- 7.2 The recommendations of the Director, the credentials of respective candidates can be considered by a duly appointed Selection Committees as laid down under Para 3.6 of the Statutes.
- 7.3 The usual procedure of advertisement in national and international media should continue to be followed for the necessary follow-up.

8. EXCELLENCE AS THE HALLMARK

- 8.1 At the NIPER excellence is to remain the distinguishing feature. The quality is to be maintained at all levels if the institute is to justify its creation and maintenance to service the best of the national interest.
- 8.2 While reviewing [***]⁶, the promotion of the faculty already in position, recruitment of new faculty, and even in making ad hoc appointments, the quality should be the ultimate criterion. The spirit of excellence should not be compromised.

⁷[9. **APPOINTMENT OF DIRECTOR.**—(i) The Director of the Institute shall be appointed by the National Institute of Pharmaceutical Education and Research Council with the prior approval of the Visitor on a contract basis for a period not exceeding five years, renewable for one more term of five years provided that the upper-age limit does not exceed seventy years.

(ii) The Director of the Institute shall be governed by the terms and conditions of the contract of service entered into between the Institute and the Director which is given as per Schedule.]

10. Appointment of a Professor of Eminence from amongst scientists of outstanding and exceptional merit, whether from within or from outside, may be made at a fixed salary as applicable to such Professor of Eminence in the Indian Institute of Technology.

11. ESTABLISHMENT OF ENDOWMENT CHAIRS

Selection to these chairs should be even more rigorous than usual. The emoluments for the Chairs shall be fixed by the Selection Committee on the basis of the conditions set by the donor and accepted by the Institute in this regard. The Selection Committee shall record the basis for such selection.

12. PAY STRUCTURE AND RELATED ISSUES

⁶ Words “the contracts” omitted *vide* notification number G.S.R.433(E), dated 3.7.2014 (w.e.f. 7.7.2014).

⁷ Subs. *vide* notification number G.S.R. 692(E), dated 26.9.2023 (w.e.f. 26.9.2023). Before substitution Statute 9 stood as under:

“9. APPOINTMENT OF DIRECTOR.—The appointment shall be for a 5 year term, renewable for one more term of 5 years provided that the upper age limit does not go beyond 65 years.”

12.1 The pay structure shall be comparable with that applicable to the faculty in the Indian Institute of Technology (IITs).

12.2 The pay scales of the faculty shall be kept as applicable to the faculty of Indian Institute of Technology. It implies that the current pay scales be as below:

Category	Pay scales
Lecturer	8000-275-13500
Lecturer (Senior Scale)	10000-325-15200
Assistant Professor	12000-420-18300
Associate Professor	16400-450-20000
Professor	18400-500-22400
Director	25000 (Fixed)
Professor of Eminence	25000 (Fixed)
Endowment Chairs	By negotiation

12.3 Any decision with regard to the revision of pay scales in IITs in the future shall be applicable to faculty of NIPER.

⁸[12.4 RETIREMENT AGE OF PERMANENT EMPLOYEES

- (a) Teaching staff (Faculty) shall be superannuated at the end of the month in which he/she attain the age of 65 years.
- (b) All the non-faculty staff shall be superannuated at the end of the month in which he/she attains the age of 60 years.]

13. OTHER AMENITIES/ALLOWANCES

13.1 The faculty of NIPER shall be entitled to Dearness Allowance, Medical Allowance, House Rent Allowance, Transport Allowance, City Compensatory Allowance, LTC and other allowances and loans as applicable in IITs.

13.2 In addition, the faculty of the Institute shall be given the following special allowances to help them in their professional development.

13.2.1 MEMBERSHIP OF PROFESSIONAL SOCIETIES/PROCUREMENT OF JOURNALS.

Every faculty member shall get 50% subsidy on the cost of membership or of the journals upto a maximum of Rs.5000/- per year, which shall be paid on production of vouchers.

⁸ Ins. vide notification number G.S.R. 355, dated 27.11.2019 (w.e.f. 30.11.2019).

13.2.2 BOOK ALLOWANCES

Every faculty member shall get a book allowance upto maximum of Rs.5000/- per year, which shall be paid on production of vouchers. The books shall ultimately form a part of the Institute's Library accession.

13.2.3 DEPUTATION TO ATTEND CONFERENCE

Faculty members may be permitted to attend scientific and technical conferences to present their work. Such deputation will not exceed one national conference per year and one international conference every 3 years provided the paper for presentation has been accepted by the organizers of the conference or the concerned faculty member has been invited to deliver a lecture or to preside at a conference/meeting or is an office bearer at the conference.

14. POWERS, DUTIES AND FUNCTIONS OF THE DIRECTOR, DEAN, HEAD OF THE DEPARTMENT AND REGISTRAR OF THE INSTITUTE.

The powers, duties and functions of the Director, Dean, Head of Department and Registrar, specified in column 1 of Table II below shall be those specified in the corresponding entry in column 2.

Table II	
(1)	(2)
Director	<p>(a) To incur expenditure in accordance with the procedure as may be laid down by the Board from time to time.</p> <p>(b) To fix, on the recommendations of the Selection Committee, the initial pay an incumbent at a stage higher than the minimum of the scale but not involving more than five increments in respect of posts to which appointment can be made by him under the powers vested in him by the provisions of the Act.</p> <p>(c) In exceptional cases and subject to availability of funds, the Director shall have the power to create temporary posts with the approval of the Chairman for not more than two years' duration on approved scales of pay and report to the Board provided that no such post, of which the Director is not the appointing authority, shall be so created.</p> <p>(d) To appoint the Dean from amongst the Professors of the Institute.</p> <p>(e) To designate from amongst the Professors of a department as head of the Department. If there is no Professor in a department the Director at his discretion may designate an Associate/Assistant Professor of the department as Head of the</p>

	<p>Department for interim period.</p> <p>(f) To appoint Warden(s) from amongst the Professors/Associate Professors/Assistant Professors of the Institute.</p> <p>(g) To appoint such persons as the Director may feel deem fit to perform the duties of the Registrar when the office of the Registrar is vacant or when the Registrar is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of his office.</p> <p>(h) The power of a Head of Department for purposes of rules in the Account Code, the Fundamental and Supplementary Rules and other rules of the Government in so far as they are applicable or may be made applicable to the conduct of the business of the Institute.</p> <p>(i) All contracts for and on behalf of the Institute, except the one between the Institute and the Director, shall when authorized by a resolution of the Board passed in that behalf, be in writing and be expressed to be made in the name of the Institute and every such contract shall be executed on behalf of the Institute by the Director or Registrar, but the Director/Registrar shall not personally liable in respect of anything under such contract.</p> <p>(j) To convene or cause to be convened meetings of the Board, the Senate, Academic Planning and Development Committee, Finance Committee and Laboratory Services, Buildings and Works Committee.</p> <p>(k) To invite persons from outside the Institute as Visiting faculty or consultants in areas where adequate expertise is not available in the Institute on terms to be decided by him on the recommendation of the Academic Planning and Development Committee.</p> <p>(l) To waive recovery of over-payment, to write off irrecoverable losses and of irrecoverable value of stores lost or rendered unserviceable due to fair wear and tear upto an amount to be decided by the Board in any individual cases subject to such stipulations as may be made by the Board from time to time.</p> <p>(m) To appoint such person as he may deem fit to perform the duties of the office when the office of the Director is vacant or when the Director is, by reason of illness, absence, or any other cause, unable to perform the duties of his office, provided however, such arrangements shall not exceed 30 days. The current charge</p>
--	--

	<p>arrangements for the post of Director, beyond 30 days should have the approval of the Board of Governors.</p> <p>(n) May, with the approval of the Board, delegate any of his powers, responsibilities and authorities vested in him by the Act and the Statutes to one or more members of academic or administrative staff of the Institute.</p> <p>(o) In the absence of the Chairman to be the ex-officio Chairman of the Board and in the absence of the Chairman to preside at the convocations of the Institute for conferring degrees and be entitled to be present at, and to address, any meeting of any authority or other body of the institute, but shall not be entitled to vote there unless he is a member of such authority or body.</p> <p>(p) To see that the Act, the Statutes, Ordinances and Regulations are duly observed, and shall have all powers necessary to ensure such observance.</p> <p>(q) To take disciplinary action against the employees, and to suspend them pending inquiry to administer warnings to them or to impose any penalty in accordance with the rules.</p> <p>Provided that no such penalty shall be imposed unless the person concerned has been given a reasonable opportunity of being heard and showing cause against the action proposed to be taken in regard to him.</p> <p>An appeal shall lie to the Chairman against any order of the Director imposing any of the penalties.</p> <p>(r) Shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office and shall be eligible for reappointment.</p> <p>Provided that the Visitor may direct that a Director, whose term of office has expired, shall continue in office for such period, not exceeding a total period of one year, as may be specified in the direction.</p> <p>(s) Notwithstanding anything contained in clause (r) above a person appointed as Director shall, if he completes the age of sixty five years during the term of his office or any extension thereof, shall retire from office.</p> <p>Amended vide letter No.52/8/98-PI-III/NIPER dated 28 February, 2002.</p> <p>Amendment: BOG resolved to delete the clause 14(s) w.e.f. date of approval of amendment to clause 9 of Statutes of NIPER.</p>
--	---

Dean	<p>(a) To assist the Director in academic and administrative work and in maintaining liaison with other institutions of higher learning and research and also with industrial undertaking and other employees.</p> <p>(b) Shall hold office for a period of three years and be eligible for reappointment for one more term provided the upper age limit does not go beyond ⁹[65] years.</p>
Head of Department	To perform such functions as may be determined by the Director.
Registrar	<p>(i) To invite bodies entitled to nominate representatives of the Board to do so within a reasonable time not ordinarily exceeding four weeks from the date on which such invitations are issued by him. The same procedure shall be followed for filling casual vacancies of the Board.</p> <p>(ii) To be ex-officio Secretary of the Board, the Senate, the Finance Committee, Laboratory Services, Buildings and Works Committee but shall not be deemed to be a member of any of these authorities unless otherwise specified.</p> <p>(iii) To be the custodian of the records, the common seal and such other property of the Institute as the Board shall commit to his charge.</p> <p>(iv) To issue all notices convening meetings of the Board, the Senate, the Board of Studies and of any committees appointed by the authorities of the Institute.</p> <p>(v) To keep the minutes of all the meetings of the Board, the Senate, and of any other committees appointed by the authorities of the Institute.</p> <p>(vi) To conduct the official correspondence of the Board, the Senate and the various committees.</p> <p>(vii) To arrange for and superintend the examinations of the Institute in accordance with the manner prescribed by the Ordinances.</p> <p>(viii) Subject to the control of the Board the Registrar shall:-</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Exercise general supervision over the funds of the Institute and shall advise it regarding the financial matters of the Institute. (2) Perform such other financial functions as may be assigned

⁹ Subs. for “62” vide notification number G.S.R. 355, dated 27.11.2019 (w.e.f. 30.11.2019).

	<p>to him by the Director or as may be prescribed by the Statutes or the Ordinances.</p> <p>Provided that the Registrar shall not incur any expenditure or make any investment without the previous approval of the Director.</p> <p>(3) Hold and manage the property and investments of the Institute including trust and endowed property.</p> <p>(4) Ensure that the limits fixed by the Board for recurring and non-recurring expenditure for a year are not exceeded and that all moneys are utilized on the purposes for which they are granted or allotted.</p> <p>(5) Be responsible for the preparation of annual accounts and the budget of the Institute and for their presentation to the Board.</p> <p>(6) Keep a constant watch on the state of the cash and bank balances and on the state of investment.</p> <p>(7) Watch the progress of the collection of revenue and advise on the methods of collection employed.</p> <p>(8) Ensure that the registers of buildings, land, furniture and equipment are maintained up-to-date and that stock-checking is conducted, of equipment and other consumable materials in all offices, Departments, Centres and Laboratories of the Institute.</p> <p>(9) Call for explanation for unauthorized expenditure and for other financial irregularities and suggest disciplinary action against persons at fault.</p> <p>(10) Call for from any office, Department, Centre and Laboratory maintained by the Institute any information or returns that he may consider necessary for the performance of his duties.</p> <p>(11) The Receipt of the Registrar or of the person or persons duly authorized in this behalf by the Director for any money payable to the Institute shall be sufficient discharge for payment of such money.</p> <p>(i) To represent the Institute in suits or proceedings by or against the Institute, sign powers of attorney and verify pleading or depute his representative for the purpose.</p> <p>(ii) To perform such other duties as may be specified in the</p>
--	--

	Statutes, the Ordinances or the Regulations or as may be required, from time to time, by the Board or the Director.
--	---

15. PROVIDENT FUND, PENSION AND GRATUITY SCHEME

All the employees of NIPER may opt between General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960-cum-Pension-cum-Gratuity Scheme and Contributory Provident Fund Rules (India), 1962-cum-Gratuity Scheme as amended from time to time.

16. VACATION AND LEAVE

The employees of the Institute shall be governed by Central Civil Services (Leave) Rules, 1972 as amended from time to time subject to variations/additions indicated hereafter:

- (a) A maximum of two spells of Earned Leave in normal course and a third spell in case of emergency.
- (b) Provision for sabbatical leave as in IIT may be made.
- (c) Provision of Earned Leave as in vacation Department may be made.

17. RESIDENTIAL ACCOMMODATION FOR THE STAFF

- (a) The Institute may allot the unfurnished house, within the NIPER campus under the provision of “Allotment of Residence (NIPER) Rules” to be framed by BOG.
- (b) The BOG may allot furnished or unfurnished accommodation without levying a license fee or levying such fee at concessional rates to any category of staff, if it considers necessary to do so in the interest of the institute.

18. TRAVELING ALLOWANCES

All employees of the Institute shall be entitled to traveling and daily allowances as per Supplementary Rules (Traveling Allowances) of Government of India as amended from time to time subject to the following variations/additions:

- (a) Reimbursement of local conveyance charges shall be on need basis and in specific cases only which will be decided by the Director of the Institute.
- (b) For Group ‘A’ Officers, the D.A. on tour (including hotel charges) will be as per the CSIR pattern.

19. MEDICAL ATTENDANCE

The employees of the Institute shall be governed by the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944 as amended from time to time subject to variations/additions as proposed:

- (a) Cost of pathological tests from private laboratories on the advice of AMA may be limited to the rates of PGI, Chandigarh/AIIMS, New Delhi.

(b) Cost of dental treatment from the Dental Surgeon from private AMA shall also be limited to the rates of PGI, Chandigarh/AIIMS, New Delhi.

20. CONDUCT RULES

The employees of the Institute shall be governed by the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 as amended from time to time.

21. DISCIPLINE AND APPEALS

The employees of the Institute shall be governed by the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 as amended from time to time.

22. CONSULTANCY

The employees of the Institute may undertake contract research and provide consultancy and technical services as laid down in Schedule 'A'.

23. MISCELLANEOUS

Any modification, change and amendments or repeal of the whole or part of the Statutes shall be subject to the provisions of Section 27 of the Act.

¹⁰[SCHEDULE

The Visitor has been pleased to approve the appointment of the appointee as the Director of the Institute on contract for five years and the appointee has accepted such appointment upon the terms and conditions hereinafter appearing.

NOW THESE PRESENTS WITNESSTH and the parties hereto respectively agree as follows:—

- (1) This agreement of service shall be deemed to have been entered into subject at all times to the provisions of the Act, covering the Institutes as in force from time to time as applicable to permanent confirmed employees.
- (2) The appointee shall be on service under the agreement for a period of five years with effect from date of joining the post or till he attains the age of 70, whichever is earlier.
- (3) The appointee shall be the Principal academic and Executive Officer of the Institute and serve the Institute as the whole time Director of the Institute with powers and duties provided in the said Act.
- (4) The appointee shall devote his whole time to the service of the Institute and will be subject to the Conduct Rules and other provisions of the said Act. Any information obtained by appointee during or in connection with his service and the work upon which he is engaged shall be treated as secret and confidential and appointee shall be deemed in all respects to be subject to the Indian Officials Secrets Act, 1923 (19 of 1923), as amended from time to time.

¹⁰ Ins. *vide* notification number G.S.R. 692(E), dated 26.9.2023 (w.e.f. 26.9.2023).

(5) During the period of his service except in respect of any period of suspension and also of any period of leave without pay, the appointee shall be entitled subject to the Indian Income Tax to the Pay Scale of Rs. 2,25,000 (fixed):

provided that if any time the appointee proceeds on deputation out of India, his pay and allowances during the period his deputation will be such as may be decided by the Board of Governors in addition, the appointee shall draw allowances like Dearness Allowance, City Compensatory Allowance etc. as may be admissible from time to time as per rules of the Institute.

(6) Notwithstanding anything hereinbefore contained, the appointee shall unless otherwise decided by the Institute be entitled to receive the whole or in part as may be determined by the Institute the benefits of any improvements in the revision of scale of pay and in retirement benefits that may be affected by the Institute subject to the date of these presents in the terms and conditions of the service of members of the branch of Institute, service to which he may for the time being belong, the decision of the Institute in respect of such improvement in the terms and conditions of their service of appointee shall operate so as to modify to that extent the provisions of these presents.

(7) The appointee shall be entitled to leave as admissible to permanent non-vacation employees of the Institute under the Statues.

(8) The appointee shall be entitled to furnished free of license fee office cum residential accommodation in the campus of the Institute as may be sanctioned by the Board of Governors of the Institute.

(9) The appointee shall be eligible for privilege in relation to medical attendance and treatment as per existing rules.

(10) The appointee shall be paid travelling expenses for joining the Institute as admissible to an officer of the Central Government of equivalent rank under the Transfer Travelling Allowances Rules of the Central Government deeming the appointment of the appointee as on transfer in the public interest. If the appointee is required to travel in the interest of Institute work, he shall be entitled to travelling allowance and the scale provided for in the Travelling Allowances Rules of the Institute in force from time to time. Similarly the appointee shall be entitled to leave travel concession for visiting his hometown as per the Rules of the Institute.

(11) Any amount received by the appointee from books and articles published by him at his cost shall be left to him as an encouragement for continuing his work in that line. He would also be allowed to do consultancy and retain benefits of the same as per rules laid down by the Board from time to time.

(12) The service of appointee may during the period of contract, be terminated by the Institute at any time by three calendar months notice in writing given at any time during service under this contract without any cause assigned.

Provided always the Institute may in lieu of the notice herein provided to give the appointee a sum equivalent to the amount of his basic pay for three months. The appointee may terminate his service by giving to the Institute three calendar months notice in writing.

(13) The appointee will be allowed the status of Professor of the Department of his specialty and take part in teaching and research in the said Department subject to his Convenience.

(14) In respect of any matter for which no provision has been made in his agreement the appointee will be governed by the said National Institutes of pharmaceuticals Education and Research Act, 1998 (13 of 1998) or any modification thereof for the time being in force and the Statutes to be made thereunder.

IN WITNESS WHEREOF on the day and the year first above written, the Chairperson of the Board of Governors of the Institute has hereinto set his hand and the appointee has hereinto set his hand.

Signed and delivered for the
National Institute of Pharmaceutical Education and Research
by the Chairperson,
Board of Governors of the Institute

In the presence of signature of witnesses with addresses signed and delivered by the said appointee in the presence of _____

Signature of _____ witness with addresses _____ Director, National Institute of Pharmaceutical Education and Research _____.]

APPENDIX-A

(Refer Statute 22)

NIPER faculty may undertake contract research and provide consultancy and technical services.

1. CONTRACT RESEARCH

Contract research shall comprise all R&D undertaken through specific contractual arrangement agreed upon for the purpose and shall cover the:

1.1a Sponsored projects: Projects wholly funded by the client having specified R&D objectives, and well defined expected project output/results, generally culminating in generation of intellectual property. Sponsored projects could be multi-client also, with the sharing the project funding and research results.

1.1b Collaborative Projects: Projects partially funded by the client and supplemented by provision of inputs from the Institute such as extra manpower, production/fabrication of product in bulk for testing infrastructural facilities etc. collaborative projects could be for upscaling/proving of laboratory level knowhow, technology development or generation of intellectual property etc. The expected project output/results are well defined.

1.1c Grant-in-Aid Projects: Grant-in-Aid Projects are normally for supporting for basic or exploratory research or for maintaining or creating testing and infrastructural facilities. These projects shall involve grant by way of financial inputs, either in full or in part, assistance in kind e.g. equipment, training to supplement NIPER's efforts in ongoing or new R&D Projects or for creating new capabilities/facilities.

1.2 Costing of Contract Research Projects

1.2.1 The charges for contract research shall include expenses on account of:

- (a) Cost of man-days of staff deployed.
- (b) Cost of consumables/raw materials/components with 25% overheads.
- (c) Cost of physical inputs/services/utilities with 25% overhead.
- (d) Equipment usage cost/cost of equipment procured specifically for the project.
- (e) Any external payment envisaged.
- (f) TA/DA
- (g) Contingencies.

Total expenses = sum of a to g.

1.2.2 Intellectual fee: Minimum of 33.3% of total expenses as at 1.2.1.

1.2.3 For any sponsored research, rights for licensing intellectual property shall rest with NIPER. In case of collaborative research, such rights shall be held by NIPER and collaborator; Licensing for commercial exploitation of the intellectual property generated out of contract research shall be held jointly.

NIPER shall charge an adequate amount as fee. This could be a lump sum and or recurring royalty.

N.B.: Wherever feasible the sponsorer shall be given a non-exclusive license fee with an exclusive licence for a limited period of time, normally not exceeding 5 years, for commercial exploitation of the intellectual property.

1.2.4 Project charges = Total expenses + intellectual fee + licence fee.

1.3 Sharing of the Monies by Staff

Forty per cent of the intellectual fee or net surplus (remaining after accounting for all direct or indirect project expenditure) whichever is lower arising from R&D contracted is to be shared with the staff.

The pattern of sharing for staff is as follows:

	Staff	Share
(i)	Innovators & Principal Contributors	40%
(ii)	S&T (supporting staff)	35%
(iii)	Remaining supporting staff of the NIPER	20%

(iv)	Welfare Fund	5%
------	--------------	----

2. Consultancy

All consultancy services in the NIPER shall be institutional. There shall be two categories of consultancy viz.

2.1.1 Advisory Consultancy

Wherein the services would involve scientific, technical, engineering or other professional advice, provided to a client purely on the basis of available expert knowledge and experience of individual(s), rendered outside NIPER and not envisaging use of any facilities of the NIPER and also not involving any kind of survey, detailed study or report preparation/submission.

2.1.2 General Consultancy

Wherein the services shall comprise scientific, technical, engineering or other professional advice/ assistance based on the available knowledge base/expertise of NIPER, and envisaging only minimum use of laboratory facilities for essential experimentation needed to meet the objectives of the consultancy assignment. General consultancy may *inter alia* cover:-

- preparation of literature survey/feasibility studies, state of the art/project/technology forecasting reports;
- interpretation and validation of test results and data, risks and hazard/environment impact analysis etc.,
- design engineering;
- assistance in erection, commissioning, operation, fabrication/tendering and purchase of equipment, trouble-shooting, productivity improvements, pollution abatement/control measures, energy conservation, waste utilization, technology assessment/evaluation.

2.1.3 Any consultancy assignment which does not strictly fall under the category of Advisory Consultancy, shall be taken up as General Consultancy.

2.2 COSTING OF CONSULTANCY PROJECT

2.2.1 The charges for consultancy project shall include expenses on account of:

- a. cost of man-days of staff deployed.
- b. cost of physical inputs/services/utilities/consumables raw materials/components with 25% overheads.
- c. equipment usage cost.
- d. external payment envisaged e.g. to outside consultants, for obtaining data, hiring of infrastructural facilities.

- e. TA/DA.
- f. Contingencies.

Total Expenses = sum of a to f.

2.2.2 Intellectual fee

This should commensurate with the quality of inputs provided and the likely benefits to accrue to the client as a result of the consultancy. While there is no ceiling on the upper limit of intellectual fee to be charged, it should not be less than the estimated manpower charges.

2.3 DISTRIBUTION OF HONORARIUM

For Advisory Consultancy

Distributable amount upto a maximum of 2/3rd of intellectual fee as follows:-

Team of consultants	95%
Welfare Fund	5%

For General Consultancy

Distributable amount upto a maximum of 2/3rd of intellectual fee or 300% of the manpower charges levied, whichever is less, as follows:-

Team of consultants	65%
Other S&T Staff	15%
Remaining supporting staff	15%
Welfare Fund	5%

3. INTELLECTUAL PROPERTY

Intellectual property shall include patents, copyright, registered design trademark, know-how for a process/product/design and computer software. Intellectual property generated shall be of two types.

3.1.1 UNENCUMBERED

- (i) Developed through wholly in-house R&D programmes/projects. In such cases ownership of intellectual property is solely that of NIPER, and consequently the licensing rights are that of NIPER alone.
- (ii) Intellectual property developed through contract research and subsequently rendered unencumbered as per contractual arrangement with the client. In such cases licensing of intellectual property by NIPER would be in accordance with the terms and conditions agreed upon with respect of third party licensing with the client.

3.1.2 ENCUMBERED

Developed through contract research i.e. total or partial financial support, and with/without technical inputs from users/clients. In such cases, ownership and licensing of intellectual property for commercial utilization shall be governed by NIPER's obligations to client in the matter.

3.1.3 LICENSING OF INTELLECTUAL PROPERTY

Licensing of intellectual property shall mean granting the licensee the right to utilize the intellectual property and sell or use the resulting product(s) either for commercial/captive purpose or as otherwise agreed to.

3.2 PRICING OF INTELLECTUAL PROPERTY

There is not rigid formula for determining the price of intellectual property and thus estimates vary from case to case. The price of knowhow/intellectual property normally ranges between 2% to 10% of either the plant & equipment cost or projected turnover of the unit for a period of 5 years' production.

To arrive at price of intellectual property following factors will be kept in view:-

- (i) cost of development.
- (ii) estimate of net benefit to be derived by the licensee.
- (iii) size and number of potential licensees.
- (iv) comparative cost of imported intellectual property
- (v) Possibility of intellectual property being pirated.
- (vi) Opportunity value.

4. TECHNICAL SERVICES

Technical services are meant to render to the clients/customers, assistance of a minor nature based on available knowledge, expertise, skill and facilities of the Institute. Technical services shall comprise:

- Testing & Analysis (including certification and calibration)
- Training
- Technical assistance of an advisory nature
- Fabrication/production of special products
- Repair and maintenance
- Supply of information/database.

4.1 CHARGES FOR TECHNICAL SERVICES

Charges shall comprise of (A+B) below except for supply of information/database.

A. Estimated expenditure on:

- (i) Manpower (at Prescribed rates).
 - (ii) Physical inputs/services/utilities etc. including overheads at 25%
 - (iii) Raw material/consumables components with 25% overhead.
 - (iv) Equipment usage depreciation/replacement cost.
 - (v) Any other out of pocket expenditure.
- B. Intellectual fee/opportunity cost. The quantum shall be at the discretion of the Director considering the nature of client and his paying capacity.

4.2 DISTRIBUTION OF MONIES.

Twenty per cent of the intellectual fee or net surplus (remaining after accounting for all direct and indirect expenditure for the service) whichever is lower is to be shared with the staff. The pattern of sharing for staff shall be same as given in 1.3.

राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान परिनियम¹

(दिनांक 15.05.2025 को अद्यतित)

केन्द्रीय सरकार, औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 (1998 का 13) की धारा 36 की उपधारा (1) के अनुसरण में उक्त संस्थान के व्यवस्थापक बोर्ड द्वारा, कुलाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से, उक्त अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के निम्नलिखित प्रथम परिनियमों को प्रकाशित करती हैं:-

1. संक्षिप्त नाम - इन परिनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान परिनियम है।

2. परिभाषाएं –

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 अभिप्रेत है;

(ख) "विद्या योजना तथा विकास समिति" से संस्थान की विद्या संबंधी योजना तथा विकास समिति अभिप्रेत है;

(ग) "प्राधिकारियों", "अधिकारियों" तथा "प्रोफेसरों" से संस्थान के क्रमशः प्राधिकारी, अधिकारी तथा प्रोफेसर अभिप्रेत हैं;

(घ) "बोर्ड" से संस्थान का व्यवस्थापक बोर्ड अभिप्रेत है;

(ङ) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(च) "संकायाध्यक्ष" से संस्थान का संकायाध्यक्ष अभिप्रेत है;

(छ) "निदेशक" से संस्थान का निदेशक अभिप्रेत है;

(ज) "वित्त समिति" से संस्थान की वित्त समिति अभिप्रेत है;

(झ) "विभागाध्यक्ष" से संस्थान के संबंधित विभाग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

²[(ज) 'संस्थान' से उक्त अधिनियम की अनुसूची के स्तंभ (3) में उल्लिखित कोई भी संस्थान अभिप्रेत है;]

(ट) "प्रयोगशाला सेवा, भवन और निर्माण समिति" से संस्थान की प्रयोगशाला सेवा, भवन और निर्माण समिति अभिप्रेत है।

¹ मूल कानून भारत के राजपत्र, साप्ताहिक, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में दिनांक 8.11.2003 को संख्या सा.का.नि. 391, दिनांक 30.10.2003 के अंतर्गत प्रकाशित किए गए और बाद में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 433(अ), दिनांक 3.7.2014 (7.7.2014 से प्रभावी), संख्या सा.का.नि. 355, दिनांक 27.11.2019 (30.11.2019 से प्रभावी), संख्या सा.का.नि. 113, दिनांक 24.8.2022 (27.8.2022 से प्रभावी), संख्या जी.एस.आर.694 (अ), दिनांक 13.9.2022 (13.9.2022 से प्रभावी) और संख्या 692 (अ), दिनांक 25.9.2023 (26.9.2023 से प्रभावी)।

² अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 113, दिनांक 24.8.2022 (27.8.2022 से प्रभावी) द्वारा प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पहले, खंड (ज) निम्नानुसार था:

"(ज) "संस्थान" से राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 के अधीन निगमित राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान साहिबजादा अजीत सिंह नगर अभिप्रेत है।

(ठ) "अध्यादेश" से संस्थान के अध्यादेश अभिप्रेत है;

(ड) "प्रधान पुस्तकालय और सूचना अधिकारी" से संस्थान का प्रधान पुस्तकालय और सूचना अधिकारी अभिप्रेत है;

(ढ) "प्रधान विज्ञान अधिकारी" से संस्थान का प्रधान विज्ञान अधिकारी अभिप्रेत है;

(ण) "रजिस्ट्रार" से संस्थान का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;

(त) "सीनेट" से संस्थान का सीनेट अभिप्रेत है;

(थ) संस्थान के निवास के हाल के संबंध में "वार्डन" से उसका वार्डन अभिप्रेत है।

3. बोर्ड, सीनेट तथा समितियां

3.1 बोर्ड

3.1.1 संरचना

बोर्ड की संरचना अधिनियम की धारा 4 (3) के उपबंधों के अनुसार होगी।

3.1.2 कृत्य तथा शक्तियां

अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों के अतिरिक्त, बोर्ड के पास निम्नलिखित शक्तियां होगी :-

(क) निधियों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए पदों का सृजन करना, ऐसे पदों की संख्या तथा उपलब्धियां अवधारित करना तथा संस्थान के कर्मचारियों के कर्तव्यों तथा सेवा की शर्तों को परिभाषित करना;

(ख) उन प्रोफेसरों, सह प्रोफेसरों, सहायक प्रोफेसरों तथा अन्य कर्मचारिवृंद की समतुल्य ग्रेडों में नियुक्ति करता, जो इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समितियों की सिफारिश पर आवश्यक हों;

(ग) परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के अनुसार कर्मचारियों में अनुशासन को विनियमित करता तथा लागू करना;

(घ) संस्थान के वित्तों, लेखों, विनिधानों, संपत्ति, कारबार तथा सभी अन्य प्रशासनीय कार्यों का प्रबंध करना तथा उन्हें विनियमित करना और इस प्रयोजन के लिए उतने अधिकर्ताओं की नियुक्ति करना, जितने वह ठीक समझे;

(ङ) वित्त समिति की सिफारिशों पर किसी वर्ष के लिए आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय की सीमा नियत करना;

(च) अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए संस्थान के किसी धन का, जिसके अंतर्गत कोई अनुपयोजित आय भी है, ऐसी रीति में निवेश करना, जो वह ठीक समझे या भारत में अचल संपत्ति के क्रय में विनिधान करना;

(छ) अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए संस्थान की ओर से किसी भी चल या अचल संपत्ति का अंतरण करना या अंतरणों को स्वीकार करना;

(ज) संस्थान के कार्यों को चलाने के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर, साधित्र तथा अन्य साधन उपलब्ध कराना;

(झ) संस्थान की ओर संविदाएं करना, उनमें फेरफार करना, उनका निष्पादन तथा उन्हें रद्द करना;

(ञ) संस्थान के कर्मचारियों की किन्हीं शिकायतों पर विचार करना, उन पर निर्णय देना तथा उचित पाए जाने पर उन्हें दूर करना;

(ट) संस्थान के लिए एक सामान्य मुद्रा का चयन करना और ऐसी मुद्रा की अभिरक्षा तथा प्रयोग के लिए उपबंध करना;

(ठ) अपनी ऐसी किसी भी शक्ति को संस्थान के अध्यक्ष, निदेशक, संकायाध्यक्ष, रजिस्ट्रार या ऐसे अन्य कर्मचारी या प्राधिकारी को या उसके द्वारा नियुक्त समिति को प्रत्यायोजित करना, जिसे वह ठीक समझे;

(ड) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जो अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किए जाए;

3.1.3 अधिवेशन

(क) बोर्ड के अधिवेशन साधारणतया वर्ष में तीन बार होंगे।

(ख) बोर्ड के अधिवेशन अध्यक्ष द्वारा स्वयं की पहल पर या निदेशक के अनुरोध पर या बोर्ड के तीन से अन्यून सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित मांगपत्र के द्वारा बुलाए जाएंगे। मांगपत्र द्वारा बुलाया गया अधिवेशन विशेष अधिवेशन होगा, जिस पर कार्यसूची की केवल उन्हीं मदों पर विचार-विमर्श किया जाएगा जिनके लिए मांग की गई है। मांगपत्र द्वारा बुलाया गया अधिवेशन अध्यक्ष द्वारा ऐसे मांगपत्र की प्राप्ति से 15 दिन के भीतर उसकी सुविधानुसार तारीख और समय पर बुलाया जाएगा।

(ग) बोर्ड के अधिवेशन के लिए अपेक्षित गणपूर्ति वास्तविक सदस्य-संख्या का 1/3 भाग होगी।

(घ) रजिस्ट्रार ऐसे अधिवेशन की तारीख से तीन सप्ताह से अन्यून की सूचना देकर बोर्ड के सदस्यों को अधिवेशन में आमंत्रित करेगा। सदस्य, यथास्थिति, अपनी शासकीय/व्यक्तिगत हैसियत से अधिवेशन में उपस्थित होंगे। तथापि, सूचना की अवधि अध्यक्ष/निदेशक तथा बोर्ड के तीन अन्य सदस्यों की पूर्व सहमति से कम या समाप्त की जा सकेगी।

(ङ) रजिस्ट्रार द्वारा अधिवेशन से कम से कम एक सप्ताह पूर्व बोर्ड के सदस्यों को कार्यसूची भेजी जाएगी। अध्यक्ष ऐसी किसी भी मद को सम्मिलित करने की अनुज्ञा दे सकेगा, जिसके लिए सम्यक् सूचना नहीं दी जा सकी हो।

(च) बोर्ड अध्यक्ष सहित उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा सभी मामलों का विनिश्चय करेगा। मत के बराबर रहने की दशा में अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।

(छ) अध्यक्ष बोर्ड के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में निदेशक अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा:

परन्तु यदि अध्यक्ष तथा निदेशक अनुपस्थित हैं तथा विचारणीय मामले तात्कालिक और महत्वपूर्ण हैं, तब उपस्थित सदस्य विशिष्ट मामले पर विचार करने के लिए अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से एक सदस्य का निर्वाचन करेंगे।

(ज) अधिवेशन में प्रक्रिया के सभी प्रश्नों के संबंध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

(झ) यदि बोर्ड का कोई सदस्य, अनुपस्थित रहने के लिए बोर्ड की अनुमति के बिना निरंतर तीन अधिवेशनों में उपस्थित होने में असफल रहता है तो वह बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा।

(ञ) बोर्ड के सभी आदेश तथा विनिश्चय रजिस्ट्रार या इस निमित्त बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर से प्रमाणित किए जाएंगे।

(ट) बोर्ड के अधिवेशन की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त रजिस्ट्रार द्वारा तैयार किए जाएंगे और बोर्ड के सभी उपस्थित सदस्यों को परिचालित किए जाएंगे। सुझाए गए संशोधनों सहित, यदि कोई हो, कार्यवृत्त को बोर्ड के अगले अधिवेशन में पुष्टि के लिए रखा जाएगा। कार्यवृत्त की पुष्टि करने और अध्यक्ष द्वारा उस पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् उसे कार्यवृत्त पुस्तिका में अभिलिखित किया जाएगा जो कार्यालय समय के दौरान सभी समयों पर बोर्ड के सदस्यों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रखी जाएगी।

3.2 सीनेट

3.2.1 संरचना

अधिनियम की धारा 13 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति सीनेट के सदस्य होंगे:-

(क) निदेशक जो सीनेट का अध्यक्ष होगा।

(ख) संकायाध्यक्ष।

(ग) अधिनियम की धारा 13 (ग) के अनुसार नामनिर्दिष्ट संस्थान के पांच प्रोफेसर।

(घ) अधिनियम की धारा 13(घ) के अनुसार नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति।

(ङ.) चक्रानुक्रम में नियुक्त संस्थान का एक सह-प्रोफेसर।

(च) चक्रानुक्रम में संस्थान का एक सहायक प्रोफेसर।

(छ) उपरोक्त द्वारा प्रतिनिधित्व रहित किसी भी विभाग का विभागाध्यक्ष।

3.2.2 कृत्य

अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए सीनेट निम्नलिखित कृत्य करेगी :

(क) विभिन्न विभागों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम तथा पाठ्य विवरण तैयार करना और उन्हें पुनरीक्षित करना।

(ख) परीक्षाओं के संचालन के लिए व्यवस्थाएं करना।

(ग) परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना या ऐसा करने के लिए समितियों या अधिकारियों की नियुक्ति करना तथा डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने के संबंध में बोर्ड को सिफारिशें करना।

(घ) संस्थान के विभागों/केंद्रों के लिए, उनके कार्यों से संबंधित शैक्षणिक मामलों के संबंध में सिफारिशें करने के लिए सलाहकार समितियों या विशेषज्ञ समितियों या दोनों को नियुक्ति करना; संबंधित विभागों/केंद्रों के अध्यक्ष ऐसी समिति के संयोजक के रूप में कार्य करेंगे।

(ङ) सीनेट द्वारा ऐसी किसी समिति को निर्दिष्ट किए गए अनुसार ऐसे विनिर्दिष्ट शैक्षणिक मामलों के संबंध में सलाह देने के लिए संस्थान के संकाय सदस्यों में से समितियों तथा बाहरी विशेषज्ञों की नियुक्ति करना।

(च) विभिन्न विभागों/केंद्रों से संबद्ध सलाहकार समितियों की तथा विशेषज्ञ तथा अन्य समितियों की सिफारिशों पर विचार करना तथा यथापेक्षित कार्रवाई करना।

(छ) विभागों/केंद्रों के कार्य का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना तथा यथापेक्षित उचित कार्रवाई करना।

(ज) पुस्तकालय तथा सूचना सेवा/केन्द्रीय सहायता केन्द्र तथा किसी अन्य गैर-शिक्षण विभाग/केन्द्र के कार्य का समय-समय पर पुनरीक्षण करना तथा यथापेक्षित कार्रवाई करना।

(झ) संस्थान के कार्य, प्रवेश अनुशासन, उपस्थिति, अध्येतावृत्ति, वजीफा, छात्रवृत्ति, मैडल और पुरस्कार प्रदान किए जाने, फीसों, आवासों, रियायतों तथा कैम्पस जीवन-उपस्थिति के संबंध में ऐसे विनियम और नियम बनाना, जो परिनियमों और अध्यादेशों से संगत हों।

(ञ) संस्थान की शैक्षणिक नीतियों पर सामान्य अधीक्षण करना और शिक्षा पद्धति और संस्थाओं में सहकारी शिक्षण संबंधी निर्देश देना।

(ट) स्वयं की पहल पर या किसी विभाग / केन्द्र या बोर्ड द्वारा निदेश किए जाने पर सामान्य शैक्षणिक हित के मामलों पर विचार करना तथा उस पर उचित कार्रवाई करना।

³[(ठ) संस्थान के गवर्नर्स बोर्ड में दो प्रोफेसरों को नामित करना।]

3.2.3 अधिवेशन

(क) सीनेट का अधिवेशन उतनी बार जितना आवश्यक हो, किन्तु छह मास में कम से कम एक बार होगा।

³ अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 113, दिनांक 24.8.2022 (दिनांक 27.8.2022 से प्रभावी) द्वारा सम्मिलित।

(ख) सीनेट के अधिवेशन सीनेट के अध्यक्ष द्वारा स्वयं की पहल पर या सीनेट के बीस प्रतिशत से अन्यून सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित मांगपत्र दिये जाने पर बुलाया जाएगा। मांगपत्र द्वारा बुलाया गया अधिवेशन विशेष अधिवेशन होगा, जिसमें कार्यवृत्त की केवल उन्हीं मदों पर विचार किया जाएगा जिनके लिए अधिवेशन बुलाने की मांग की गई है। मांगपत्र द्वारा बुलाया गया अधिवेशन अध्यक्ष द्वारा ऐसे मांगपत्र को प्राप्ति से पंद्रह दिन के भीतर उसकी सुविधानुसार तारीख और समय पर बुलाया जाएगा। अधिवेशन की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्य संख्या के कम से कम एक-तिहाई सदस्य उपस्थित होने चाहिएं।

(ग) निदेशक सीनेट के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा। उसकी अनुपस्थिति में संकायाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा तथा निदेशक और संकायाध्यक्ष, दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित ज्येष्ठतम प्रोफेसर अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।

(घ) निदेशक, आवश्यक मामलों पर विचार करने के लिए अल्प सूचना पर सीनेट का आपातकालीन अधिवेशन बुला सकेगा।

(ङ) प्रक्रिया के सभी प्रश्नों के संबंध में सीनेट के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

(च) सीनेट के अधिवेशन की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त रजिस्ट्रार द्वारा तैयार किए जाएंगे और सीनेट के सभी सदस्यों को भेजे जाएंगे। सुझाए गए संशोधनों, यदि कोई हों, सहित कार्यवृत्त को सीनेट के अगले अधिवेशन में पुष्टि के लिए रखा जाएगा। कार्यवृत्त के सीनेट के अध्यक्ष द्वारा पुष्टि तथा हस्ताक्षरित किए जाने के पश्चात् उसे कार्यवृत्त पुस्तिका में अभिलिखित किया जाएगा, जिसे कार्यालय समय के दौरान सभी समयों पर सीनेट के सदस्यों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रखा जाएगा।

(छ) सीनेट के सभी आदेश तथा विनिश्चय, रजिस्ट्रार या इस निमित्त सीनेट द्वारा प्राधिकृत किसी भी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर से प्रमाणित किए जाएंगे।

3.3 विद्या योजना और विकास समिति

यह घोषित किया जाता है कि विद्या योजना और विकास समिति अधिनियम की धारा 12 के अर्थान्तर्गत एक प्राधिकरण भी होगी।

3.3.1 संरचना

3.3.1.1 समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :-

(क) व्यवस्थापक द्वारा संस्थान के बाहर से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला सजातीय विद्याओं का एक विख्यात शिक्षाविद्/वैज्ञानिक/प्रौद्योगिकीविद्, जो उक्त समिति का अध्यक्ष होगा;

(ख) संस्थान का निदेशक;

(ग) निदेशक के परामर्श से बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट संस्थान का एक प्रोफेसर;

(घ) शैक्षिक और अनुसंधान संस्थाओं से और औषधीय उद्योगों से औषध निर्माण और संबद्ध विज्ञानों की विभिन्न विद्याओं का प्रतिनिधित्व करने वाले छह बाह्य विशेषज्ञ, जिन्हें निदेशक की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा; तथा

(ङ) संकायाध्यक्ष, जो सदस्य सचिव होगा।

समिति प्रत्येक तीन वर्षों में पुनर्गठित की जाएगी। खंड 3.3.1.1 (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होंगे तथा उनके स्थान पर नये नामनिर्देशन किए जाएंगे। तथापि, प्रथम समिति में क्रमशः एक-तिहाई सदस्य एक वर्ष के पश्चात् तथा और एक तिहाई सदस्य दो वर्ष के पश्चात् सेवानिवृत्त होंगे।

3.3.2 कृत्य

(क) विद्या संबंधी योजना और विकास के संबंध में बोर्ड को सहायता और सलाह देना तथा संस्थान के शैक्षणिक अनुसंधान तथा परामर्शी क्रियाकलापों को मॉनीटर करना।

(ख) (i) कर्मचारिवृन्द के पदों के सृजन तथा उन्हें समाप्त करने, तथा (ii) ऐसे पदों से संबद्ध उपलब्धियों और कर्तव्यों के संबंध में बोर्ड को सिफारिश करना।

(ग) शिक्षण और अनुसंधान में अंतर-अनुशासनिक सहयोग के लिए उपायों का सुझाव देना।

3.3.3 अधिवेशन

(क) विद्या योजना और विकास समिति के अधिवेशन उतनी बार, जितनी आवश्यक हो, किन्तु वर्ष में कम से कम दो बार होंगे।

(ख) विद्या योजना और विकास समिति के अधिवेशन निदेशक द्वारा बुलाए जाएंगे। समिति के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संकायाध्यक्ष अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। अधिवेशन में गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई सदस्य उपस्थित होने चाहिए।

3.4 वित्त समिति

यह घोषित किया जाता है कि वित्त समिति अधिनियम की धारा 12 के अर्थान्तर्गत एक प्राधिकरण होगी।

3.4.1 संरचना

3.4.1.1 समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :

(क) संस्थान का निदेशक, जो समिति का अध्यक्ष होगा;

(ख) संकायाध्यक्ष, जो निदेशक की अनुपस्थिति में अधिवेशन का अध्यक्ष भी होगा;

(ग) भारत सरकार के रसायन और पेट्रो रसायन विभाग का निदेशक (वित्त) / उप वित्तीय सलाहकार;

(घ) शिक्षा, अनुसंधान तथा उद्योग का प्रतिनिधित्व करने के लिए बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति;

(ङ) रजिस्ट्रार जो सदस्य सचिव होगा।

3.4.1.2 समिति का प्रत्येक तीन वर्ष में पुनर्गठन किया जाएगा।

3.4.2 कृत्य

(क) लेखाओं की परीक्षा करना तथा व्यय संबंधी प्रस्तावों को संवीक्षा करना।

(ख) संस्थान के वास्तविक लेखाओं तथा वित्तीय परिकलनों पर विचार करना और उन्हें बोर्ड को प्रस्तुत करना।

(ग) संस्थान की आय और संसाधनों के आधार पर वर्ष के कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय की सीमा नियत करना।

3.4.3 अधिवेशन

समिति के अधिवेशन, उतनी बार जितने आवश्यक हों, किन्तु वर्ष में कम से कम दो बार होंगे। अधिवेशन की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई सदस्य उपस्थित होने चाहिए।

3.5 प्रयोगशाला सेवा, भवन और निर्माण समिति

यह घोषित किया जाता है कि भवन और निर्माण समिति अधिनियम की धारा 12 के अर्थान्तर्गत एक प्राधिकरण भी होगी।

3.5.1 संरचना

समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:

(क) निदेशक, जो समिति का अध्यक्ष होगा :

(ख) संकायाध्यक्ष, जो निदेशक की अनुपस्थिति में अधिवेशनों की अध्यक्षता भी करेगा;

(ग) बोर्ड का एक नामनिर्देशिती;

(घ) भारत सरकार के रसायन और पेट्रो रसायन विभाग का निदेशक (वित्त) / उप वित्तीय सलाहकार या उसका नामनिर्देशिती;

(ङ) भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का एक अधिकारी, जो अधीक्षण इंजीनियर की पंक्ति से नीचे का न हो, या उसका नामनिर्देशिती जो कार्यपालक इंजीनियर की पंक्ति से नीचे का न हो;

(च) संस्थान के निदेशक के परामर्श से बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला संस्थान का एक प्रोफेसर;

(छ) संस्थान का मुख्य अनुरक्षण इंजीनियर;

(ज) रजिस्ट्रार, जो सदस्य सचिव होगा।

3.5.2 कृत्य

(क) बोर्ड से आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात् सभी प्रमुख बड़े संकर्मों को अनुमोदित करना;

(ख) लघु कार्यों तथा अनुरक्षण और मरम्मत से संबद्ध कार्यों के लिए दो लाख रुपए के मूल्य से अधिक के कार्यों के प्रयोजन के लिए संस्थान के पास रखे अनुदान के भीतर रहते हुए आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की मंजूरी देना;

(ग) भवनों और अन्य पूँजी कार्यों, लघु कार्यों, मरम्मतों, अनुरक्षण तथा समान कार्यों के खर्च के परिकलनों को अभिलिखित करना;

(घ) अनिवार्य होने पर ऐसी तकनीकी जांच-पड़ताल करना जो उसके द्वारा आवश्यक समझी जाए;

(ङ) विभागीय कार्यों के लिए उपयुक्त ठेकेदारों की सूची तैयार करना तथा जहां आवश्यक हो, निविदाएं स्वीकार करना और निदेश देना;

(च) निविदा के अन्तर्गत न आने वाली दरें निर्धारित करना तथा ठेकेदारों के दावों और विवादों का निपटारा करना;

(छ) संस्थान के भवनों के निर्माण तथा भूमि विकास के विषय में ऐसे अन्य कृत्यों का अनुपालन करना, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर उसे सौंपे जाएं;

(ज) संस्थान की प्रयोगशाला सेवाओं को बनाए रखने के लिए प्रणाली का विकास करना।

3.5.3 अधिवेशन

(क) समिति के अधिवेशन उतनी बार, जितने आवश्यक हों, किन्तु वर्ष में कम से कम दो बार होंगे। अधिवेशन की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों में से एक तिहाई सदस्य उपस्थित होने चाहिए।

(ख) आपात मामलों में समिति का अध्यक्ष समिति की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। ऐसे मामले उसके द्वारा समिति तथा बोर्ड को, समिति और बोर्ड के अगले अधिवेशन में रिपोर्ट किए जाएंगे।

3.6 चयन समितियां

गणपूर्ति: अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल सदस्य संख्या का 50%।

प्रोफेसरों, सह-प्रोफेसरों, सहायक प्रोफेसरों, रजिस्ट्रार प्रधान पुस्तकालय और सूचना अधिकारी, प्रधान विज्ञानी अधिकारी के पदों तथा अन्य पदों पर नियुक्ति के संबंध में सिफारिशें करने के लिए चयन समितियां होंगी। नीचे सारणी-1 के स्तंभ में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समिति में स्तंभ 2 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट व्यक्ति होंगे।

सारणी

(1)	(2)
प्रोफेसर/सह प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर	<ul style="list-style-type: none">- अध्यक्ष : बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट एक विख्यात वैज्ञानिक/शिक्षा विद्/वृत्तिक/ प्रौद्योगिकी विद्।- बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट ख्यातिप्राप्त एक शिक्षा विद्/वैज्ञानिक। <p>निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले संबद्ध विशेषज्ञता रखने वाले कम से कम दो बाह्य विशेषज्ञ।</p> <ul style="list-style-type: none">- निदेशक, पदेन।

प्रधान पुस्तकालय और सूचना अधिकारी/प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी/अन्य तकनीकी कर्मचारिवृंद	(क) संस्थान का निदेशक, जो समिति का अध्यक्ष होगा । (ख) संकायाध्यक्ष । (ग) निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ ।
रजिस्ट्रार/उप-रजिस्ट्रार/अन्य प्रशासनिक कर्मचारिवृंद	(क) संस्थान का निदेशक, जो समिति का अध्यक्ष होगा । (ख) संकायाध्यक्ष । (ग) निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट दो विशेषज्ञ । (घ) रजिस्ट्रार जो, रजिस्ट्रार के पद के अलावा, समिति का सचिव भी होगा।
ऊपर दर्शाए गए वर्गों के अंतर्गत न आने वाले ऐसे अन्य पद, जिनका वेतनमान ऐसा है, जिसमें अधिकतम वेतन 3050/- रुपए प्रतिमास से अधिक है	(क) निदेशक या उसका नामनिर्देशित, जो समिति का अध्यक्ष होगा। (ख) यथास्थिति, संबद्ध विभाग का विभागाध्यक्ष या रजिस्ट्रार। (ग) निदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट संस्थान के कर्मचारिवृंद में से दो सदस्य।

टिप्पण 1: नियम द्वारा प्रदान की गई संपूर्ण व्यवस्था के भीतर रहते हुए चयन समिति को किसी पदधारी के आरंभिक वेतन को, उस पद को बाबत, जिसमें अधिनियम के उपबंधों के अधीन बोर्ड द्वारा नियुक्ति की जा सकती है, न्यूनतम वेतनमान से अधिक स्तर पर नियत करने की शक्ति होगी।

[***]⁴ विलोपित

टिप्पण 3: निदेशक की अनुपस्थिति में संस्थान के कर्मचारिवृंद का कोई सदस्य, जो निदेशक के वर्तमान कर्तव्यों का अनुपालन करने के लिए नियुक्त किया गया है, निदेशक के स्थान पर चयन समिति का अध्यक्ष होगा।

टिप्पण 4: संकायाध्यक्ष की अनुपस्थिति में निदेशक उसके स्थान पर चयन समितियों के संबंध में कार्य करने के लिए संस्थान के कर्मचारिवृंद के किसी सदस्य को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।

टिप्पण 5: जहां कोई पद आमंत्रण द्वारा भरा जाना है, वहां अध्यक्ष अपने विवेकानुसार ऐसी तदर्थ चयन समितियां गठित कर सकेगा जो प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हों।

टिप्पण 6: इन परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी निदेशक को " अनुमोदित" परियोजनाओं के अधीन ऐसी रीति में, जिसे यह ठीक समझे, व्यक्तियों की नियुक्ति करने की शक्ति होगी। रजिस्ट्रार ऐसी "अनुमोदित" परियोजनाओं की सूची रखेगा।

⁴ अधिसूचना संख्या सा.का.नि.433(अ), दिनांक 3.7.2014 (7.7.2014 से प्रभावी) द्वारा विलोपित किया गया है। विलोपित होने से पूर्व, नोट 2 इस प्रकार था: "टिप्पण 2: चयन समिति पाँच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए संविदा के आधार पर पदों पर नियुक्ति की सिफारिश करेगी तथा संविदा को निदेशक की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा समान निबंधों पर नवीकृत किया जा सकेगा।"

टिप्पण 7: यदि पद विज्ञापन द्वारा भरा जाना है, तो पद के निबंधन और शर्तें रजिस्ट्रार द्वारा विज्ञापित की जाएंगी और विज्ञापन में विनिर्दिष्ट तारीख तक प्राप्त सभी आवेदनों पर चयन समिति द्वारा विचार किया जाएगा:

परन्तु चयन समिति पर्याप्त कारणों से इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् प्राप्त किसी आवेदन पर भी विचार कर सकेगी।

टिप्पण 8: चयन समिति ऐसे सभी व्यक्तियों की, जिन्होंने आवेदन किया है, विश्वसनीयता की जांच करेगी और चयन समिति के किसी सदस्य द्वारा सुझाए गए या अन्यथा समिति की जानकारी में लाए गए अन्य उपयुक्त नामों पर भी, यदि कोई हों, विचार कर सकेगी। चयन समिति ऐसे अभ्यर्थियों के साक्षात्कार कर सकेगी जिन्हें अध्यक्ष ठीक समझे और चयन किए गए अभ्यर्थियों के नामों को योग्यता के क्रम में व्यवस्थित करके, यथास्थिति, बोर्ड या निदेशक को अपनी सिफारिशें करेगी।

टिप्पण 9 : चयन समिति के किसी कार्य या कार्यवाहियों को मात्र चयन समिति के किसी सदस्य या सदस्यों की अनुपस्थिति के आधार पर प्रश्रुत नहीं किया जाएगा।

टिप्पण 10: रजिस्ट्रार अधिवेशन की सूचना समिति के सदस्यों को अधिवेशन की तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पहले देगा।

टिप्पण 11 : जब तक इन परिनियमों के अधीन अन्यथा उपबंधित न किया गया हो, किसी पद पर नियुक्ति के संबंध में सिफारिशें करने के प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति उस पद के संबंध में नियुक्ति किए जाने के समय तक अपना कार्य करने के लिए पात्र होगी।

टिप्पण 12 : निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से पैरा 3.6 में वर्णित किसी पद की बाबत पात्रता की शर्तों को शिथिल कर सकेगा।

टिप्पण 13 : (संस्थान में की गई सभी नियुक्तियों की रिपोर्ट बोर्ड को उसके अगले अधिवेशन में दी जाएगी)।

बोर्ड, सीनेट तथा सभी समितियों के कुल सदस्यों में से एक तिहाई सदस्यों से अधिवेशन की गणपूर्ति होगी। परन्तु यदि कोई अधिवेशन गणपूर्ति की कमी के कारण स्थगित किया जाता है, तो वह अधिवेशन उसी तारीख को, अधिवेशन कराने के लिए नियत समय से कम से कम आधे घंटे के पश्चात् होगा तथा इस प्रकार उपस्थित सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

अधिवेशनों की सूचनाओं, कार्यसूची में मदों को सम्मिलित करने और बोर्ड के अधिवेशनों को लागू कार्यवृत्त की पुष्टि से संबंधित इन परिनियमों के उपबंधों का, जहां तक संभव हो, समिति के अधिवेशनों के संबंध में पालन किया जाएगा।

4. संकाय की भर्ती

4.1 अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रवर्ग के प्रत्येक पद के सामने उपदर्शित न्यूनतम अर्हता और अनुभव संबंधी अपेक्षा को पूरा करता हो। तथापि, इन परिनियमों में किन्हीं और अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुए, अन्यथा उत्कृष्ट योग्यता वाले अभ्यर्थियों की दशा में अर्हताओं और अनुभव को शिथिल किया जा सकता है।

4.1.1 सहायक प्रोफेसर: उपयुक्त शाखा में पी.एच डी. के साथ पूर्ववर्ती डिग्री में प्रथम श्रेणी या समतुल्य ग्रेड, और साथ में आरंभ से ही बहुत अच्छा शैक्षिक रिकार्ड तथा उच्च गुणवत्ता वाले प्रकाशित कार्य के साथ कम से कम 5 वर्ष का अध्यापन/अनुसंधान औद्योगिक अनुभव।

4.1.2 सह प्रोफेसर: उपयुक्त शाखा में पूर्ववर्ती डिग्री में प्रथम श्रेणी या समतुल्य ग्रेड, और पी. एच डी. के साथ में आरंभ से ही बहुत अच्छा शैक्षिक रिकार्ड तथा उच्च गुणवत्ता वाले प्रकाशित कार्य के साथ कम से कम 8 वर्ष का अध्यापन/अनुसंधान/ औद्योगिक अनुभव तथा औषध तथा संबद्ध क्षेत्रों में ज्ञान में किए गए आरंभिक योगदान के लिए स्थापित प्रतिष्ठा।

4.1.3 प्रोफेसर: उपयुक्त शाखा में पी. एच डी. के साथ पूर्ववर्ती डिग्री में प्रथम श्रेणी या समतुल्य ग्रेड, और आरंभ से ही बहुत अच्छा शैक्षिक रिकार्ड तथा उच्च गुणवत्ता वाले प्रकाशित कार्य के साथ कम से कम 10 वर्ष का अध्यापन/अनुसंधान/औद्योगिक अनुभव तथा औषध तथा संबद्ध क्षेत्रों में ज्ञान में विशिष्ट आरंभिक योगदान देने में सुप्रसिद्ध और स्थापित प्रतिष्ठा।

4.2 भर्ती राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के परिनियमों के पैरा 3.6 के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी।

4.3 चयन समिति की सिफारिशों को बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।

4.4 अपवादिक रूप से सुयोग्य किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति निदेशक, संकायाध्यक्ष तथा संबद्ध विभाग के विभागाध्यक्ष से मिलकर बनी विशेष समिति द्वारा साक्षात्कार के पश्चात् निदेशक द्वारा तदर्थ अतिरिक्त आधार पर की जा सकेगी।

4.5 निदेशक ऐसी तदर्थ नियुक्तियों को अगले अधिवेशन में बोर्ड की जानकारी में लाएगा।

4.6 तदर्थ नियुक्तियां संकाय के कुल कर्मचारिवृंद के 5-10% से अधिक नहीं होगी।

4.7 किसी तदर्थ नियुक्ति को राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के परिनियमों के पैरा 4.2 और 4.3 के अनुसार एक वर्ष के भीतर सामान्य रिक्ति के संबंध में नियमित चयन की प्रक्रिया द्वारा भरा जाना होगा।

5. कैरियर तरक्की स्कीम

5.1 पांच वर्ष को समाधानप्रद सेवा के पश्चात् सहायक प्रोफेसर से सह-प्रोफेसर तथा सह-प्रोफेसर से प्रोफेसर के अगले उच्चतर ग्रेड में रखे जाने के लिए उपबंध किया जाना चाहिए। यह बहुत कठोर चयन प्रक्रिया पर आधारित होना चाहिए। इस प्रणाली की विश्वसनीयता, कार्यकरण मूल्यांकन की दक्ष और सुकार्य प्रणाली को रखने पर निर्भर करेगा। इसमें निम्नलिखित को आवश्यक रूप से विचार में रखा जाएगा:-

(क) संकाय को वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट।

(ख) छात्रों द्वारा प्रत्येक वर्ष का मूल्यांकन अभिलेख।

(ग) प्रकाशनों, रिपोर्टों, पेटेंटों आदि का अभिलेख।

(घ) संस्थान के विकास के लिए संकाय द्वारा किया गया योगदान।

(ड.) परियोजनाओं, पुरस्कारों आदि के रूप में बाहरी अभिकरणों से प्राप्त मान्यता।

इन उपलब्धियों की रिपोर्टें तथा अभिलेखों की दो बाह्य विशेषज्ञों द्वारा जांच की जाएगी, जिनकी सिफारिशें संस्थान के परिनियमों के पैरा 3.6 के अनुसार गठित चयन समिति के समक्ष रखी जाएंगी। चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जाएगा। समिति की सिफारिशों पर अगले उच्चतर ग्रेड में रखे जाने या अन्यथा के लिए आगे कार्यवाही की जाएगी।

5.2 चयन समिति की सिफारिशों को बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।

5.3 किसी विभाग में संकाय पदों की कुल संख्या नियत रहेगी। किंतु पदधारी के संबंध में संबंधित पदों के उन्नयन में नमनीयता अनुज्ञात की जाएगी। इस प्रकार संकाय सदस्य की योग्यता को उच्चतर काडर में पद की उपलब्धता पर ध्यान दिए बिना मान्यता दी जाएगी। इस उपबंध का संस्थान के बृहत हित में बहुत ही विवेकपूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए।

5.4 उपरोक्त पैरा 5.1 के अनुसार अगले उच्चतर ग्रेड में रखे जाने से सीधी भर्ती द्वारा होने वाले पश्चात्कर्ती प्रवेश के उपबंध पर कोई बाधा नहीं पड़ेगी। तथापि, इस स्कीम के अधीन अगले उच्चतर ग्रेड में रखे गए संकाय के सदस्य, उच्चतर पद के सभी विशेषाधिकार और लाभ प्राप्त करेंगे।

⁵6. नियुक्तियां

6.1 राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नियमित आधार पर नियुक्त करने को नीति अंगीकृत करता है।

6.2 राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान मोहाली के अनुमोदन से एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा सकेगा, जिसके अंतर्गत रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) के संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून एक अधिकारी होगा, जो विद्यमान संविदा कर्मचारियों के नियमितिकरण का परीक्षण और सिफारिश पर विचार करेगी, के साथ-साथ निम्नलिखित कसौटियां होंगी:-

- (i) जब विद्यमान संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी है तो क्या निष्पक्ष और पारदर्शी रीति का पालन भर्ती की किसी नियमित पद्धति का पालन किया गया था।
- (ii) क्या उसका पूर्व अनुपालन और सेवा अभिलेख संतोषप्रद पाए गए थे।
- (iii) क्या वह अपनी नियुक्ति के समय उक्त विशिष्ट पद के लिए दी गई अर्हताओं को पूर्ण करता है जब उसे नियमितिकरण के लिए विचार किया गया है।

7. नये संकाय सदस्यों की खोज

7.1 प्रतिभा की खोज व्यक्तिगत संपर्कों के द्वारा किए जाने की आवश्यकता है। यदि पर्याप्त संख्या में भावी अभ्यर्थियों की विदेश में पहचान हो सकती है, तो निदेशक द्वारा अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के लिए तथा उनकी उपयुक्तता का अवधारण करने के लिए एक दौरे का आयोजन किया जा सकता है।

⁵ अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.433(अ), दिनांक 3.7.2014 (7.7.2014 से प्रभावी) द्वारा प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पहले, कानून 6 इस प्रकार था: “6. संकाय के अनुबंधों की समीक्षा

6.1 राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान में संविदा के आधार पर नियुक्तियां करने की नीति अपनाई जाती है। संविदा की अवधि पांच वर्ष रखी गई है।

6.2 संविदा पुनर्विलोकन समिति निम्नलिखित से मिलकर गठित की जा सकेगी :-

- निदेशक, अध्यक्ष
- संकायाध्यक्ष
- संबद्ध विभाग का विभागाध्यक्ष
- राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के बाहर से दो विशेषज्ञ।

6.3 अन्य प्रक्रियाएं परिनियमों के पैरा 5.1 से 5.2 के अधीन विहित किए गए अनुसार होंगी।

7.2 निदेशक की सिफारिशों, संबद्ध अभ्यर्थियों की विश्वसनीयता के बारे में परिनियमों के पैरा 3.6 के अधीन अधिकथित किए गए सम्यक् रूप से नियुक्त की गई चयन समितियों द्वारा विचार किया जा सकता है।

7.3 राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में विज्ञापन की सामान्य प्रक्रिया का आवश्यक अनुवर्तन हेतु अनुपालन किया जाता रहना चाहिए।

8. श्रेष्ठता बतौर प्रमाणक

8.1 राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान में श्रेष्ठता को विशिष्टता का प्रतीक बनाए रखा जाना है। यदि संस्थान को अपने सृजन और राष्ट्र के सर्वोत्तम हितों की पूर्ति के लिए बनाए रखने को न्यायोचित सिद्ध करना है तो सभी स्तरों पर गुणवत्ता को बनाए रखना होगा।

8.2 संविदाओं का पुनर्विलोकन [***]⁶ करते समय पहले से ही आसीन संकाय की प्रोन्नति, नए संकाय की भर्ती तथा तदर्थ नियुक्तियां करते समय भी गुणवत्ता ही मुख्य मापदंड होनी चाहिए। श्रेष्ठता की भावना से कोई भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

7[9 निदेशक की नियुक्ति - (i) संस्थान के निदेशक की नियुक्ति राष्ट्रीय औषध शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान परिषद द्वारा कुलाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से संविदा के आधार पर पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिए की जाएगी, जिसे पांच वर्ष की एक और अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकेगा, बशर्ते कि ऊपरी आयु सीमा सत्तर वर्ष से अधिक न हो।

(ii) संस्थान के निदेशक, संस्थान और निदेशक के बीच किए गए सेवा संविदा की शर्तों और निबंधनों द्वारा शासित होंगे, जो अनुसूची के अनुसार दिए गए हैं।]

10. प्रतिभाशाली और असाधारण योग्यता वाले वैज्ञानिकों में से प्रतिष्ठित प्रोफेसर की नियुक्ति, चाहे भीतर से हो या बाहर से, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आई.आई. टी.) में ऐसे प्रतिष्ठित प्रोफेसर को लागू निर्धारित वेतन पर की जा सकेगी।

11. प्रतिभापीठों की स्थापना

इन पीठों के लिए चयन सामान्य से कहीं अधिक कठोर होना चाहिए। इन पीठों के लिए वेतन का निर्धारण इस संबंध में दानकर्ताओं द्वारा निर्धारित तथा संस्थान द्वारा स्वीकृत शर्तों के आधार पर चयन समिति द्वारा किया जाएगा। चयन समिति इस चयन के लिए आधार को अभिलिखित करेगी।

12. वेतन ढांचा तथा संबंधित मुद्दे

12.1 वेतन ढांचा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई. टी.) के संकाय को लागू वेतन से तुलनीय होगा।

12.2 संकाय के वेतनमान वहीं रखे जाएंगे, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई. आई. टी.) के संकाय को लागू हैं। इसका अर्थ है कि वर्तमान वेतनमान निम्नानुसार होंगे:

⁶ अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.433(अ.सा.), दिनांक 3.7.2014 (7.7.2014 से प्रभावी) के तहत शब्दों "अनुबंधों" को हटा दिया गया।

⁷ अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 692(अ.सा.), दिनांक 26.9.2023 (26.9.2023 से प्रभावी) के तहत प्रतिस्थापित किया गया। प्रतिस्थापन से पहले क़ानून 9 इस प्रकार था:

"9. निदेशक की नियुक्ति-नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए होगी तथा पांच वर्ष की और अवधि के लिए नवीकरण किए जाने योग्य होगी, परंतु अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।"

वर्ग	वेतनमान
प्राध्यापक (लेक्चरर)	8000-275-13,500
प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतमान)	10,000-325-15,200
सहायक प्रोफेसर	12,000-420-18,300
सह प्रोफेसर	16,400-450-20,000
प्रोफेसर	18,400-500-22,400
निदेशक	25,000 (नियत)
प्रतिष्ठित प्रोफेसर	25,000 (नियत)
प्रतिभापीठ	बातचीत द्वारा तय किया जाएगा

12.3 भविष्य में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) के वेतनमानों के पुनरीक्षण से संबंधित कोई भी निर्णय राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के संकाय पर लागू होगा।

⁸[12.4 स्थायी कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु

- (क) शैक्षिक कर्मचारिवृंद (संकाय), उस मास के अंत में, जिसमें वह 65 वर्ष की आयु का हो जाता है, अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होगा।
- (ख) सभी गैर-संकाय कर्मचारिवृंद, उस मास के अंत में, जिसमें वह 60 वर्ष की आयु का हो जाता है, अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होगा।

13. अन्य सुख-सुविधाएं/भत्ते

- 13.1 नाईपर का संकाय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई. आई. टी.) को लागू किए गए अनुसार मंहगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, छुट्टी यात्रा रियायत (एल. टी. सी.) तथा अन्य भत्तों एवं ऋणों के लिए हकदार होगा।
- 13.2 इसके अतिरिक्त, संस्थान के संकाय को उनके व्यवसायिक विकास में उनकी सहायता के लिए निम्नलिखित विशेष भत्ते दिए जाएंगे।

13.2.1 व्यवसायिक समितियों की सदस्यता/पत्रिकाएं प्राप्त करना

प्रत्येक संकाय सदस्य, सदस्यता की लागत पर या पत्रिकाओं के लिए प्रतिवर्ष अधिकतम 5,000 रुपए तक की 50% सब्सिडी प्राप्त करेगा, जिसका भुगतान वाउचर पेश करने पर किया जाएगा।

13.2.2 पुस्तक भत्ता

प्रत्येक संकाय सदस्य को अधिकतम 5,000/-रु. वार्षिक तक पुस्तक भत्ता दिया जाएगा, जिसका भुगतान वाउचर पेश करने पर किया जाएगा। पुस्तकें अंत में संस्थान के पुस्तकालय का भाग होंगी।

⁸ अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 355, दिनांक 27.11.2019 (दिनांक 30.11.2019 से प्रभावी) द्वारा सम्मिलित।

13.2.3 सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए प्रतिनियुक्ति

संकाय सदस्यों को अपना कार्य प्रस्तुत करने के लिए वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी सम्मेलनों में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है। इस तरह की प्रतिनियुक्ति वर्ष में एक राष्ट्रीय सम्मेलन तथा प्रत्येक 3 वर्ष में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से अधिक के लिए नहीं होगी, बशर्ते कि प्रस्तुत करने वाले दस्तावेज सम्मेलन के आयोजकों द्वारा स्वीकार किए गए हों या संबद्ध संकाय सदस्य को सम्मेलन में लैक्चर देने या सम्मेलन/अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया गया हो या वह सम्मेलन में पदाधिकारी हो।

14 संस्थान के निदेशक, संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष और रजिस्ट्रार की शक्तियां, कर्तव्य तथा कृत्य

नीचे सारणी-2 के स्तंभ-1 में विनिर्दिष्ट, निदेशक, संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष और रजिस्ट्रार की शक्तियां, कर्तव्य तथा कृत्य वे होंगे, जो स्तंभ 2 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

सारणी II	
(1)	(2)
निदेशक	<p>(क) समय-समय पर बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार व्यय उपगत करना।</p> <p>(ख) चयन समिति की सिफारिशों पर किसी अभ्यर्थी का प्रारंभिक वेतन न्यूनतम वेतनमान से उच्च स्तर पर निर्धारित करना किंतु अधिनियम के उपबंधों द्वारा उसे विहित शक्तियों के अधीन उसके द्वारा की जा सकने वाली नियुक्तियों से संबंधित पदों की बाबत पांच वेतन वृद्धियों से अधिक नहीं होगा।</p> <p>(ग) आपवादिक मामलों में और निधि की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, निदेशक द्वारा बोर्ड को रिपोर्ट करने के अधीन रहते हुए, अनुमोदित वेतनमान पर दो वर्ष से अनधिक, की अवधि के लिए अध्यक्ष के अनुमोदन से अस्थायी पद सृजित करने की शक्ति होगी। परंतु ऐसा कोई पद, जिसके लिए निदेशक नियुक्ति प्राधिकारी नहीं है, इस प्रकार सृजित नहीं किया जाएगा।</p> <p>(घ) संस्थान के प्रोफेसरों में से संकायाध्यक्ष की नियुक्ति करना।</p> <p>(ङ) विभाग के प्रोफेसरों में से विभागाध्यक्ष को पदाभिहित करना। यदि किसी विभाग में कोई प्रोफेसर नहीं है, तो निदेशक स्वविवेकानुसार उस विभाग के किसी सह/सहायक प्रोफेसर को अंतरिम अवधि के लिए विभागाध्यक्ष के रूप में पदाभिहित कर सकेगा।</p> <p>(च) संस्थान के प्रोफेसरों/सह-प्रोफेसरों/सहायक प्रोफेसरों में से वार्डन (वार्डनों) की नियुक्ति करना।</p> <p>(छ) जब रजिस्ट्रार का पद रिक्त हो या बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से रजिस्ट्रार अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तब रजिस्ट्रार के कर्तव्यों का पालन करने के लिए ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करना, जिन्हें रजिस्ट्रार योग्य समझे।</p>

(ज) लेखा संहिता नियमों, मूल और अनुपूरक नियमों और सरकार के अन्य नियमों के प्रयोजनों के लिए, जहां तक ये संस्थान के कारवार के संचालन को लागू होते हैं या लागू किए जाएं, किसी विभागाध्यक्ष की शक्ति।

(झ) संस्थान और निदेशक के बीच किसी संविदा करार के सिवाए, संस्थान के लिए और उसकी ओर से सभी संविदाएं, जब बोर्ड द्वारा इस निमित्त पारित संकल्प द्वारा प्राधिकृत किया जाए, लिखित में होंगी और संस्थान के नाम में की गई अभिव्यक्त की जाएंगी और ऐसी प्रत्येक संविदा संस्थान की ओर से निदेशक या रजिस्ट्रार द्वारा निष्पादित की जाएगी किंतु निदेशक/ रजिस्ट्रार ऐसी संविदा के अधीन किसी भी बात के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होगा।

(ञ) बोर्ड, सीनेट विद्या संबंधी योजना और विकास समिति, वित्त समिति और प्रयोगशाला सेवा, भवन और निर्माण समिति के अधिवेशन बुलाना या बुलवाना।

(ट) उन क्षेत्रों में, जहां संस्थान में पर्याप्त विशेषज्ञता उपलब्ध नहीं है, विद्या-संबंधी योजना और विकास समिति की सिफारिश पर संस्थान के बाहर में अतिथि संकाय या परामर्शियों के रूप में व्यक्तियों को ऐसे निबंधनों पर जो उसके द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे, आमंत्रित करना।

(ठ) समय-समय पर बोर्ड द्वारा बनाए गए ऐसे अनुबंधों के अधीन रहते हुए, किसी पृथक मामले में बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाने वाली राशि की सीमा तक उचित टूट-फूट के कारण अप्रयोज्य बने या गुमशुदा भंडारों के अधिक संदाय, अवलिखित अवसूलनीय हानियों और अवसूलनीय लागत की वसूली को छोड़ना।

(ड) जब निदेशक का पद रिक्त हो या निदेशक बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तब उसके पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिए ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करना जिसे वह योग्य समझे। किंतु फिर भी ऐसी व्यवस्था 30 दिन से अधिक के लिए नहीं होगी। 30 दिन से अधिक के लिए निदेशक के पद के लिए वर्तमान पदभार व्यवस्था के लिए व्यवस्थापक बोर्ड का अनुमोदन होना चाहिए।

(ढ़) बोर्ड के अनुमोदन से, अधिनियम और परिनियमों द्वारा उसमें निहित किन्हीं शक्तियों, उत्तरदायित्वों और प्राधिकारों को संस्थान के शैक्षणिक या प्रशासनिक कर्मचारियों के किसी एक या अधिक सदस्यों को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(ण) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होगा और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में डिग्रियां प्रदान करने के लिए संस्थान के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा और संस्थान के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने तथा सम्बोधन करने के लिए हकदार होगा, किंतु वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य न होने पर उसमें मत देने का हकदार नहीं होगा।

(त) यह देखना कि, अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का सम्यक्

	<p>रूप से पालन किया जा रहा है और ऐसा पालन सुनिश्चित करने के लिए उसको आवश्यक सभी शक्तियां होंगी।</p> <p>(थ) नियमों के अनुसार कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करना और उन्हें निलंबित करना तथा जांच लंबित रहने के दौरान उन्हें चेतावनी देना और कोई भी शास्ति अधिरोपित करना :</p> <p>परंतु ऐसी कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक संबंधित व्यक्ति को सुनवाई और उसके संबंध में किए जाने के लिए प्रस्थापित कार्यवाही के बारे में कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।</p> <p>कोई शास्ति अधिरोपित करने वाले निदेशक के किसी आदेश के विरुद्ध अपील अध्यक्ष को होगी।</p> <p>(द) अपना पदभार संभालने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए पदधारण करेगा और पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा :</p> <p>परंतु कुलाध्यक्ष (विजिटर) यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा निदेशक, जिसकी पदावधि समाप्त हो गई है, ऐसी अवधि के लिए पद पर बना रहेगा, जो एक वर्ष की कुल अवधि से अधिक नहीं होगी, जैसा निदेश से विनिर्दिष्ट की जाए।</p> <p>(ध) ऊपर खंड (द) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्ति अपने पद की अवधि या उसके किसी विस्तारण के दौरान पैंसठ वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा।</p> <p>पत्र सं. 52/8/98-पी.आई.-।।।/एन. आई. पी. ई. आर, तारीख 28 फरवरी, 2002 द्वारा संशोधित।</p> <p>संशोधन : व्यवस्थापक बोर्ड ने राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के खंड 9 के संशोधन के अनुमोदन की तारीख से खंड 14 (ध) को हटाने का संकल्प किया।</p>
संकायाध्यक्ष	<p>(क) शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य में तथा अन्य उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के साथ तथा औद्योगिक उपक्रमों और अन्य कर्मचारियों के साथ संपर्क कायम करने में निदेशक को सहयोग देना।</p> <p>(ख) तीन वर्ष के लिए पदधारण करेगा और एक और अवधि के लिए पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि उपरी आयु सीमा ⁹[65] वर्ष से अधिक न हो जाए।</p>
विभागाध्यक्ष	ऐसे कार्य करना, जो निदेशक द्वारा अवधारित किए जाएं।
रजिस्ट्रार	<p>(i) बोर्ड के प्रतिनिधियों को नामनिर्दिष्ट करने की हकदार निकायों को उस तारीख से, जिसको ऐसे निमंत्रण उसके द्वारा जारी किए जाते हैं, साधारणतया चार सप्ताह से अनधिक युक्तियुक्त समय के भीतर ऐसा करने के लिए निमंत्रण देना। बोर्ड की आकस्मिक रिक्तियों को भरने हेतु भी ऐसी ही प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा।</p>

⁹ अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 355, दिनांक 27.11.2019 (दिनांक 30.11.2019 से प्रभावी) द्वारा प्रतिस्थापित।

	<p>(ii) बोर्ड, सोनेट, वित्त समिति, प्रयोगशाला सेवाएं, भवन और निर्माण समिति का पदेन सचिव होना, किंतु तब तक इन प्राधिकरणों का सदस्य नहीं माना जाएगा जब तक बोर्ड द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो।</p> <p>(iii) संस्थान के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य संपत्ति का अभिरक्षक होना, क्योंकि बोर्ड उसके पदभार के लिए वचनबद्ध रहेगा।</p> <p>(iv) बोर्ड, सीनेट, अध्ययन बोर्ड तथा संस्थान के प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किसी भी समिति के अधिवेशन बुलाने संबंधी सभी सूचनाएं जारी करना।</p> <p>(v) बोर्ड, सीनेट तथा संस्थान के प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किसी भी अन्य समितियों की सभी बैठकों के कार्यवृत्त रखना।</p> <p>(vi) बोर्ड, सीनेट तथा विभिन्न समितियों के कार्यालय संबंधी पत्राचार का संचालन करना।</p> <p>(vii) अध्यादेशों द्वारा विहित रीति के अनुसार संस्थान की परीक्षाओं का प्रबंध तथा अधीक्षण करना।</p> <p>(viii) बोर्ड के नियंत्रण के अधीन रहते हुए रजिस्ट्रार निम्नलिखित कार्य करेगा:-</p> <p>(1) संस्थान की निधियों पर सामान्य अधीक्षण रखना तथा संस्थान के वित्तीय मामलों के संबंध में उसे सलाह देना।</p> <p>(2) ऐसे अन्य वित्तीय कार्य करना, जो निदेशक द्वारा उसे सौंपे जाएं या परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं:</p> <p>परंतु रजिस्ट्रार निदेशक के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई व्यय उपगत नहीं करेगा या कोई विनिधान नहीं करेगा।</p> <p>(3) न्यास तथा धर्मस्व संपत्ति सहित संस्थान की संपत्ति और विनिधानों को धारण करना तथा उनका प्रबंध करना।</p> <p>(4) यह सुनिश्चित करना कि एक वर्ष की आवर्ती और गैर-आवर्ती खर्च के लिए बोर्ड द्वारा नियत सीमाएं अधिक न हों और सभी धन का प्रयोग उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जिनके लिए वे मंजूर या आबंटित किए गए हैं।</p> <p>(5) संस्थान के वार्षिक लेखाओं और बजट तैयार करने के लिए और उन्हें बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा।</p> <p>(6) नकद, बैंक अतिशेषों और निवेशों की स्थिति पर लगातार नजर रखना।</p> <p>(7) राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर नजर रखना और नियोजित संग्रहण की पद्धतियों के संबंध में सलाह देना।</p>
--	---

	<p>(8) यह सुनिश्चित करना कि भवन, भूमि, फर्नीचर और उपकरणों के रजिस्ट्रों को अद्यतन रखा जाता है तथा संस्थान के सभी कार्यालयों, विभागों, केंद्रों तथा प्रयोगशालाओं में उपकरणों तथा अन्य उपभोज्य सामग्रियों के स्टॉक का निरीक्षण किया जाता है।</p> <p>(9) अनधिकृत खर्च तथा अन्य वित्तीय अनियमितताओं के लिए स्पष्टीकरण मांगना तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए सुझाव देना।</p> <p>(10) संस्थान द्वारा अनुरक्षित किसी कार्यालय, विभाग, केंद्र तथा प्रयोगशाला से किसी ऐसी जानकारी या विवरणी की मांग करना, जो वह अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे।</p> <p>(11) संस्थान को देय किसी धनराशि के लिए रजिस्ट्रार या निदेशक द्वारा इस निमित्त सम्यक्तः प्राधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की रसीद ऐसे धन के भुगतान के लिए पर्याप्त होगी।</p> <p>(i) संस्थान द्वारा या उसके विरुद्ध किसी वाद या कार्यवाहियों में संस्थान का प्रतिनिधित्व करना, मुख्तारनामें पर हस्ताक्षर करना तथा अभिवाक सत्यापित करना या उस प्रयोजन के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त करना।</p> <p>(ii) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जो परिनियमों या अध्यादेशों या विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं या जो, समय-समय पर, बोर्ड या निदेशक द्वारा अपेक्षित किए जाएं।</p>
--	---

15. भविष्य निधि, पेंशन तथा उपदान स्कीम

राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के सभी कर्मचारी, समय-समय पर संशोधित, साधारण भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम, 1960-सह-पेंशन-सह-उपदान स्कीम तथा अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत) 1962-सह-उपदान स्कीम में से किसी एक का चयन कर सकते हैं।

16. छुट्टियां तथा अवकाश

संस्थान के कर्मचारिवृंद इसमें इसके पश्चात् उपदर्शित भिन्नता/परिवर्धनों के अधीन रहते हुए, समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 द्वारा शासित होंगे-

(क) सामान्य प्रक्रम में अधिकतम दो बार अर्जित अवकाश तथा आपात के मामले में तीसरी बार।

(ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) के अनुसार धार्मिक अवकाश की व्यवस्था।

(ग) अवकाश विभाग की तरह अर्जित अवकाश की व्यवस्था।

17. कर्मचारिवृंद के लिए निवास-स्थान

(क) संस्थान, व्यवस्थापक बोर्ड द्वारा बनाए जाने वाले "निवास आवंटन (राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान) नियमों" के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान कैम्पस के भीतर असज्जित मकान आबंटित करे सकेगा।

(ख) व्यवस्थापक बोर्ड, संस्थान के हित में अनिवार्य समझे जाने पर किसी भी कर्मचारी वर्ग के लिए लाईसेंस फीस उद्गृहीत किए बिना या रियायती दरों पर ऐसी फीस उद्गृहीत करके सुसज्जित या असज्जित आवास आबंटित कर सकेगा।

18. यात्रा भत्ते

संस्थान के सभी कर्मचारी, समय-समय पर यथासंशोधित, भारत सरकार के अनुपूरक नियम (यात्रा भत्ता) के अनुसार यात्रा तथा दैनिक भत्तों के लिए, निम्नलिखित भिन्नता/वृद्धि के अधीन रहते हुए, हकदार होंगे।

(क) स्थानीय वाहन प्रभार की वापसी केवल आवश्यकता के आधार पर तथा विनिर्दिष्ट मामलों में ही की जाएगी, जिसका विनिश्चय संस्थान के निदेशक द्वारा किया जाएगा।

(ख) समूह 'क' अधिकारियों के लिए दौरे पर मंहगाई भत्ते का भुगतान (होटल प्रभारों सहित) सी एस आई आर पेटर्न के अनुसार ही होगा।

19. चिकित्सीय परिचर्या

संस्थान के कर्मचारी, निम्नलिखित भिन्नता/वृद्धि के अधीन रहते हुए, समय-समय पर यथासंशोधित, केंद्रीय सेवा (चिकित्सा सुविधा) नियम, 1944 द्वारा शासित होंगे:-

(क) ए.एम.ए. की सलाह पर निजी प्रयोगशालाओं से पैथालोजिकल परीक्षणों की लागत पीजीआई, चंडीगढ़/एआईआईएमएस, नई दिल्ली की दरों तक सीमित हो सकेगी।

(ख) निजी ए.एम.ए. द्वारा डेंटल सर्जन से दांतों के इलाज की लागत को भी पीजीआई, चंडीगढ़/एआईआईएमएस, नई दिल्ली की दरों तक सीमित किया जाएगा।

20. आचार नियम

संस्थान के कर्मचारी, समय-समय पर यथासंशोधित, केंद्रीय सिविल सेवा (आचार) नियम, 1964 द्वारा शासित होंगे।

21. अनुशासन और अपीलें

संस्थान के कर्मचारी समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 द्वारा शासित होंगे।

22. परामर्श

संस्थान के कर्मचारी संविदा अनुसंधान कर सकते हैं तथा अनुसूची 'ए' में अधिकथित परामर्शी तथा तकनीकी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं।

23. प्रकीर्ण

संपूर्ण परिनियम या उसके भाग में कोई उपांतरण, परिवर्तन और संशोधन या निरसन अधिनियम की धारा 27 के उपबंधों के अधीन रहते हुए होगा।

¹⁰[अनुसूची

कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त व्यक्ति की पांच वर्ष के लिए संविदा पर संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्ति का अनुमोदन किया जाता है और नियुक्त व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति को इसके पश्चात् आने वाली निबंधनों और शर्तों पर स्वीकार करता है।

अतः, अब, उपस्थित साक्षी और इसके पक्षकार क्रमशः निम्नलिखित के लिए सहमत हैं:-

(1) सेवा का करार, हर समय इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किया गया समझा जाएगा, जो स्थायी पुष्ट किए गए कर्मचारियों पर समय-समय पर यथा लागू के रूप में संस्थानों को समाविष्ट करते हुए प्रवृत्त होते हैं।

(2) नियुक्त व्यक्ति, संविदा के अधीन पद धारण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, सेवा पर रहेगा।

(3) नियुक्त व्यक्ति, संस्थान का प्रधान शैक्षिक और कार्यकारी अधिकारी होगा और उक्त अधिनियम में उपबंधित शक्तियों और कर्तव्यों के साथ संस्थान के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में संस्थान की सेवा करेगा।

(4) नियुक्त व्यक्ति, अपना पूरा समय संस्थान की सेवा में समर्पित करेगा और आचार नियमों तथा उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन होगा। नियुक्त व्यक्ति द्वारा अपनी सेवा के दौरान या उसके संबंध में प्राप्त की गई कोई सूचना और वह कार्य जिसके लिए वह नियोजित है, गुप्त और गोपनीय माना जाएगा और नियुक्त व्यक्ति सभी पहलुओं में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 (1923 का 19) के अधीन समझा जाएगा।

(5) अपनी सेवा अवधि के दौरान निलंबन की किसी भी अवधि और बिना वेतन छुट्टी की किसी अवधि के भी सिवाय, नियुक्त व्यक्ति भारतीय आयकर के अधीन दो लाख पच्चीस हजार (नियत) के वेतनमान का हकदार होगा:

परंतु यदि किसी भी समय नियुक्त व्यक्ति भारत के बाहर प्रतिनियुक्ति पर जाता है, तो उसकी प्रतिनियुक्ति के दौरान उसका वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो शासी बोर्ड द्वारा विनिश्चित किए जाएं, इसके अतिरिक्त नियुक्त व्यक्ति महंगाई भत्ते, नगर प्रतिकरात्मक भत्ते, आदि, जो संस्थान के नियमों के अनुसार समय-समय पर अनुज्ञेय हों, आहरित करेगा।

(6) इसमें इसके पूर्व अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नियुक्त व्यक्ति, संस्थान द्वारा जब तक अन्यथा विनिश्चित नहीं किया जाए वेतनमान के पुनरीक्षण और सेवानिवृत्ति फायदों में किसी भी सुधार के फायदों को पूर्णतः या भागतः, जो संस्थान द्वारा अवधारित किए जाएं, प्राप्त करने का हकदार होगा, जो संस्थान की उस शाखा के सेवा सदस्यों के निबंधनों और शर्तों में इन विलेखों की तारीख के अधीन रहते हुए संस्थान द्वारा प्रभावी हो सकेगा, जिस सेवा से वह तत्समय संबंधित हो, नियुक्त व्यक्ति की सेवा के निबंधनों और शर्तों में ऐसे सुधार की बाबत संस्थान का विनिश्चय प्रचालित होगा, जिससे इन विलेखों के उपबंधों को उस विस्तार तक उपांतरित किया जा सके।

(7) नियुक्त व्यक्ति परिनियमों के अधीन संस्थान के स्थायी गैर-प्रावकाश कर्मचारियों को अनुज्ञेय छुट्टी के हकदार होंगे।

(8) नियुक्त व्यक्ति, संस्थान के परिसर में अनुज्ञप्ति फीस से मुक्त कार्यालय-सह-आवासीय आवास सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा, जैसा संस्थान के शासी बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया जाए।

¹⁰ अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 692(अ), दिनांक 26.09.2023 (दिनांक 26.09.2023 से प्रभावी) द्वारा सम्मिलित।

(9) नियुक्त व्यक्ति, विद्यमान नियमों के अनुसार चिकित्सा सहायता और उपचार के संबंध में विशेषाधिकार का पात्र होगा।

(10) नियुक्त व्यक्ति को संस्थान में पदग्रहण करने के लिए केन्द्रीय सरकार के स्थानांतरण यात्रा भत्ते नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति को लोकहित में स्थानांतरण के रूप में मानते हुए केन्द्रीय सरकार के समतुल्य पंक्ति के किसी अधिकारी को अनुज्ञेय यात्रा भत्ते संदत्त किए जाएंगे। यदि नियुक्त व्यक्ति से संस्थान के कार्य के हित में यात्रा किया जाना अपेक्षित है, तो वह संस्थान के समय-समय पर प्रवृत्त यात्रा भत्ता नियमों में उपबंधित यात्रा भत्ते और वेतनमान का हकदार होगा।

(11) नियुक्त व्यक्ति द्वारा अपने खर्च पर प्रकाशित की गई पुस्तकों और लेखों से प्राप्त कोई रकम उस क्षेत्र में अपना काम जारी रखने के लिए प्रोत्साहन के रूप में उसके पास छोड़ दी जाएगी। उसे, बोर्ड द्वारा समय-समय पर अधिकथित नियमों के अनुसार परामर्श देने और उसके लाभों को बनाए रखने की अनुमति भी दी जाएगी।

(12) इस संविदा के अधीन सेवा के दौरान किसी भी समय नियुक्त व्यक्ति को कोई कारण बताए बिना तीन कैलेंडर मास उसकी लिखित सूचना देकर किसी भी समय संस्थान द्वारा संविदा की अवधि के दौरान की सेवा का पर्यवसान किया जा सकेगा:

परंतु संस्थान, यहां प्रदत्त की गई सूचना के बदले में नियुक्त व्यक्ति को तीन महीने के उसके मूल वेतन की रकम के समतुल्य राशि दे सकता है। नियुक्त व्यक्ति संस्थान को तीन कैलेंडर मास की लिखित सूचना देकर अपनी सेवाओं का पर्यवसान कर सकेगा।

(13) नियुक्त व्यक्ति को अपनी विशेषज्ञता के विभाग में प्राचार्य की प्रास्थिति अनुज्ञात की जाएगी और वह अपनी सुविधा के अधीन रहते हुए उक्त विभाग में अध्यापन और अनुसंधान में भाग लेगा।

(14) किसी अन्य विषय की बाबत, जिसके लिए इस करार में कोई उपबंध नहीं किया गया है, नियुक्त व्यक्ति उक्त राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 (1998 का 13) या तत्समय प्रवृत्त उसके किसी उपांतरण और उसके अधीन बनाए गए परिनियमों द्वारा शासित होगा।

उपरोक्त लिखित के साक्षी के रूप में संस्थान के शासी बोर्ड के अध्यक्ष और नियुक्त व्यक्ति ने इसमें पहले तारीख और वर्ष लिखकर हस्ताक्षर किए हैं।

हस्ताक्षर और संस्थान के शासी बोर्ड
के द्वारा राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और
अनुसंधान संस्थान के लिए परिदत्त

हस्ताक्षरित पतों के साथ साक्षियों के हस्ताक्षर की उपस्थिति में और उक्त नियुक्त व्यक्ति द्वारा साक्षी,
पता _____ की उपस्थिति में निदेशक राष्ट्रीय
औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान _____ को परिदत्त किया गया।"

परिशिष्ट-क

(परिनियम 22 देखें)

राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान संकाय संविदा अनुसंधान कर सकती है तथा परामर्शी और तकनीकी सेवाएं भी प्रदान कर सकती

1. संविदा अनुसंधान :

संविदा अनुसंधान में इस प्रयोजन के लिए किए गए विनिर्दिष्ट संविदागत व्यवस्था के माध्यम से किए गए सभी अनुसंधान और विकास शामिल होंगे तथा उसके अंतर्गत निम्नलिखित आएंगे:-

1.1क. प्रायोजित परियोजनाएं: परियोजनाओं का पूर्ण वित्त प्रबंध ऐसे ग्राहक द्वारा किया जाएगा, जिसकी विनिर्दिष्ट अनुसंधान और विकास में विशेषज्ञता है और सुपरिभाषित आशयित परियोजना परिणाम, सामान्यता बौद्धिक संपदा के उत्जनन में शिखर पर हैं। प्रायोजित परियोजनाएं बहु-ग्राहकों के लिए भी हो सकेंगे, जिनके लिए प्रयोजकों को परियोजना वित्त प्रबंध और अनुसंधान परिणामों में भागीदारी करनी होगी।

1.1ख. सहयोगी परियोजनाएं: इसका अंशतः वित्त प्रबंध ग्राहक द्वारा तथा पूरक प्रबंध संस्थान द्वारा कुशल मानव शक्ति, अवसंरचनात्मक सुविधाओं आदि के निरीक्षण के लिए भारी मात्रा में उत्पाद के उत्पादन/फैब्रिकेशन, जैसे अंतः निदेशों के उपबंध द्वारा किया जाता है। सहयोगी परियोजनाएं प्रयोगशाला स्तर की जानकारी, प्रौद्योगिकी विकास या बौद्धिक संपदा के उत्जनन, आदि को बढ़ाने/सिद्ध करने के लिए हो सकेंगी। आशयित परियोजना के बाह्य/अंतः निवेश परिणाम सुपरिभाषित हैं।

1.1ग. सहायता अनुदान परियोजनाएं: सहायता अनुदान परियोजनाएं, सामान्यतः आधारभूत या अन्वेषणात्मक अनुसंधान या अवसंरचनात्मक सुविधाओं के रख-रखाव या सृजन परीक्षण में सहयोग करने के लिए होती हैं। इन परियोजनाओं में वित्तीय निवेश अंशतः या पूर्णतः अन्य रूप में सहयोग जैसे उपकरण, पुरक हेतु प्रशिक्षण चल रही या नई अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के प्रयत्नों का नई क्षमताओं/सुविधाओं की संरचना के रूप में अनुदान शामिल होगा।

1.2. संविदा अनुसंधान परियोजना की लागत :

1.2.1 संविदा अनुसंधान के लिए प्रभारों में निम्नलिखित के संबंध में व्यय शामिल होंगे:

(क) लगाए गए कर्मचारियों के कामकाज के दिवसों की लागत।

(ख) 25% अतिरिक्त खर्चे सहित उपभोज्य/कच्चे माल कलपुर्जों की लागत।

(ग) 25% अतिरिक्त खर्चा सहित भौतिक निवेशों/सेवाओं/उपयोगिताओं की लागत।

(घ) प्रयुक्त उपकरणों की लागत/परियोजना के लिए विनिर्दिष्ट रूप से खरीदे गए उपकरण की लागत।

(ङ) किया गया कोई भी बाहरी भुगतान।

(च) यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता।

(छ) आकस्मिकताएं।

कुल व्यय क से छ तक का योग।

1.2.2. बौद्धिक फीस: 1.2.1 में के अनुसार कुल व्यय का न्यूनतम 33.3%।

1.2.3. किसी भी प्रायोजित अनुसंधान के लिए बौद्धिक संपदा के लाईसेंस देने का अधिकार राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के पास होगा। सहयोगी अनुसंधान की दशा में, ऐसे अधिकार राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान तथा सहयोगी संस्थान के पास होंगे, संविदा अनुसंधान से उत्पन्न बौद्धिक संपदा व्यापारिक उपयोग हेतु लाईसेंसिंग द्वारा संयुक्त रूप में धारित की जाएगी।

राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान फीस के रूप में पर्याप्त राशि प्रभारित करेगा। यह एकमुश्त तथा/या आवर्ती रायल्टी हो सकती है।

टिप्पण: जहां कहीं साध्य हो, प्रयोजक को गैर-अनन्य लाईसेंस फीस दी जाएगी, जो कि बौद्धिक संपदा के व्यापारिक उपयोग के लिए 5 वर्ष से अनधिक की सीमित अवधि हेतु अनन्य लाईसेंस है।

1.2.4. परियोजना लागत: कुल व्यय + बौद्धिक फीस + लाईसेंस फीस ।

1.3. कर्मचारियों द्वारा धन का अंशभाजन:

बौद्धिक फीस या शुद्ध बकाया (सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परियोजना व्यय का हिसाब लगाने के पश्चात् शेष) का चालीस प्रतिशत, जो संविदागत अनुसंधान और विकास से प्राप्ति से निम्नतर हो, कर्मचारियों के साथ अंशभाजित किया जाएगा।

कर्मचारियों के लिए अंशभाजित का पैटर्न निम्नानुसार है :

कर्मचारिवृंद	अंश
(i) अन्वेषक तथा प्रमुख अभिदायकर्ता	40%
(ii) एस एंड टी (सहयोगी कर्मचारिवृंद)	35%
(iii) राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के शेष सहयोगी कर्मचारिवृंद	20%
(iv) कल्याण निधि	5%

2. परामर्श

राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान में सभी परामर्शी सेवाएं संस्थागत होंगी। परामर्श के दो वर्ग होंगे, अर्थात् -

2.1.1 सलाहकार परामर्श

जहां कहीं सेवाओं में वैज्ञानिक, तकनीकी, इंजीनियरी या अन्य व्यावसायिक सलाह शामिल होगी, जो कि किसी ग्राहक को राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान से बाहर दिए गए व्यक्ति (व्यक्तियों) के उपलब्ध विशेषज्ञ ज्ञान तथा अनुभव के आधार पर प्रदान की जाएगी वहां इसमें न तो राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की कोई भी सुविधाओं के प्रयोग शामिल होंगे और न ही इसमें किसी भी किस्म का सर्वेक्षण, विस्तृत अध्ययन या रिपोर्ट की तैयार करना/प्रस्तुत करना शामिल होगा।

2.1.2. सामान्य परामर्श

जहां कहीं सेवाओं में वैज्ञानिक, तकनीकी, इंजीनियरी या अन्य व्यावसायिक सलाह/सहयोग शामिल होगा, जो कि राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के उपलब्ध ज्ञान के आधार/विशेषज्ञता पर आधारित होगा वहां इसमें केवल परामर्श समनुदेशन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपेक्षित आवश्यक प्रयोग हेतु प्रयोगशाला सुविधाओं का न्यूनतम प्रयोग ही शामिल होगा। अन्य बातों के साथ-साथ सामान्य परामर्श के अंतर्गत निम्नलिखित भी आ सकेंगे-

- साहित्य सर्वेक्षण/साध्यता अध्ययन तैयार करना, कला/परियोजना/प्रौद्योगिकी की भावी दशा की रिपोर्टों को तैयार करना।
- परीक्षण परिणामों और आंकड़ों का निर्वचन तथा विधिमान्यकरण, जोखिम और खतरा/पर्यावरण प्रभाव विश्लेषण आदि।
- डिजाइन इंजीनियरी।
- उपकरणों का सन्निर्माण, चालू करना, संचालन, संरचना/प्रदान करने और क्रय करने, संकट निवारण, उत्पादकता सुधार, प्रदूषण घटाव/नियंत्रण उपाय ऊर्जा संरक्षण, अपशिष्ट के उपयोग, प्रौद्योगिकी निर्धारण मूल्यांकन में सहायता देना।

2.1.3. सलाहकार परामर्शी वर्ग के अधीन दृढ़ता से न आने वाले किसी भी परामर्श कार्य को सामान्य परामर्श के रूप में लिया जाएगा।

2.2 परामर्श परियोजना की लागत

2.2.1. परामर्श परियोजना के लिए लागत में निम्नलिखित के मद्दे व्यय शामिल होगा:

(क) लगाए गए कर्मचारियों के कामकाज दिवसों की लागत।

(ख) 25% अतिरिक्त खर्च सहित भौतिक निवेश/सेवाओं/उपयोगिताओं/उपभोज्य कच्ची सामग्री/कलपूर्जी की लागत।

(ग) प्रयुक्त उपकरणों की लागत।

(घ) परिकल्पित बाहरी भुगतान अर्थात् बाहरी परामर्शदाताओं, आंकड़े प्राप्त करने, अवसंरचनात्मक सुविधाओं को किराए पर लेने के लिए।

(ङ) यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता।

(च) आकस्मिकताएं

टिप्पण: कुल लागत = क से च तक का योग।

2.2.2. बौद्धिक फीस

यह उपलब्ध कराए गए निवेश की गुणवत्ता तथा परामर्श के परिणामस्वरूप ग्राहक से प्राप्त होने वाले संभावित लाभों के अनुरूप होनी चाहिए। यद्यपि प्रभारित की जाने वाली बौद्धिक फीस की ऊपरी सीमा पर कोई प्रतिबंध नहीं है तथापि, यह अनुमानित मानव शक्ति प्रभारों से कम नहीं होनी चाहिए।

2.3 मानदेय का वितरण

सलाहकार परामर्श के लिए

बौद्धिक फीस की अधिकतम 2/3 तक वितरण योग्य राशि निम्नानुसार है:

परामर्शदाताओं का दल	95%
कल्याण निधि	5%

सामान्य परामर्श के लिए

उद्गृहीत बौद्धिक फीस की अधिकतम 2/3 तक या मानव शक्ति प्रभारों की 300% तक वितरण योग्य राशि, जो भी कम हो, निम्नानुसार होगी:

परामर्शदाताओं का दल	65%
अन्य एस एंड टी कर्मचारिवृंद	15%
शेष सहयोगी कर्मचारिवृंद	15%
कल्याण निधि	5%

3. बौद्धिक संपदा

बौद्धिक संपदा में पेटेंट, कापीराइट, रजिस्ट्रीकृत आरेखन, व्यापार-चिह्न, प्रक्रिया/उत्पाद/आरेखन तथा कंप्यूटर साफ्टवेयर के लिए जानकारी शामिल होगी। बौद्धिक संपदा दो प्रकार की होगी।

3.1.1 विल्लंगमरहित

- (i) यह पूर्णतः घरेलू अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों/परियोजनाओं द्वारा विकसित होती है। ऐसे मामलों में बौद्धिक संपदा का स्वामित्व ही एक मात्र रूप से ऐसा है, जो राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का ही है तथा परिणामस्वरूप लाइसेंस देने के अधिकार भी केवल राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के पास हैं।
- (ii) बौद्धिक संपदा का विकास ग्राहक के साथ संविदाजन्य प्रबंध के अनुसार संविदा अनुसंधान तथा बाद में भारमुक्त होने पर होता है। ऐसे मामलों में राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान द्वारा बौद्धिक संपदा की लाइसेंसिंग ग्राहक के साथ तृतीय पक्षकार लाइसेंसिंग के संबंध में तय किए गए निबंधनों और शर्तों के अनुसार होगी।

3.1.2 विल्लंगमित

इसका विकास संविदा अनुसंधान अर्थात् प्रयोगकर्ताओं/ग्राहकों से पूर्णतः या अंशतः वित्तीय सहयोग तथा तकनीकी निवेश सहित/रहित, द्वारा होता है। ऐसे मामलों में, वाणिज्यिक उपयोग हेतु बौद्धिक क्षमता का स्वामित्व तथा लाइसेंस देना राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की इस विषय में ग्राहक के प्रति बाध्यताओं द्वारा शासित होगा।

3.1.3 बौद्धिक संपदा का लाइसेंस देना

बौद्धिक संपदा का लाइसेंस देने से, बौद्धिक क्षमता का उपयोग करने तथा परिणामिक उत्पाद (उत्पादों) को वाणिज्यिक/अधिकारिक प्रयोजन के लिए या अन्यथा सहमति से विक्रय का उपयोग करने के अधिकार का लाइसेंस प्रदान करना अभिप्रेत है।

3.2 बौद्धिक संपदा की कीमत लगाना

बौद्धिक संपदा का मूल्य निर्धारण करने के लिए कोई कठोर नियम नहीं है और इसलिए, इसका अनुमान मामला-दर-मामला भिन्न रहता है। जानकारी/बौद्धिक संपदा का मूल्य सामान्यतः 5 वर्षों की उत्पादन अवधि के लिए संयंत्र और उपस्कर की लागत या यूनिट के प्रक्षेपित आवर्त के 2% में 10% के बीच होता है।

बौद्धिक संपदा का मूल्य निकालने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाएगा:

- (i) विकास की लागत।
- (ii) लाइसेंस द्वारा प्राप्त किए जाने वाले शुद्ध लाभ का अनुमान।
- (iii) क्षमता लाइसेंस धारको का आकार और संख्या।
- (iv) आयातित बौद्धिक संपदा की तुलनात्मक लागत।
- (v) बौद्धिक क्षमता के चुराए जाने की संभावना।
- (vi) अवसर मूल्य।

4. तकनीकी सेवाएं

तकनीकी सेवाओं से मुवक्किलों/ग्राहकों को संस्थान की उपलब्ध जानकारी, विशेषज्ञता, कुशलता तथा सुविधाओं पर आधारित अल्प प्रकृति की सहायता देना अभिप्रेत है। तकनीकी सेवाओं में निम्नलिखित शामिल होंगे :

- परीक्षण तथा विश्लेषण (प्रमाणिकता तथा अंशशोधन सहित)
- प्रशिक्षण
- सलाहकार प्रकृति का तकनीकी सहयोग
- विशेष उत्पादों की संरचना/उत्पादन
- मरम्मत और रख-रखाव
- सूचना/डाटा आधारित आंकड़ों की आपूर्ति

4.1. तकनीकी सेवाओं के लिए प्रभार

प्रभारों के अंतर्गत निम्नलिखित (क+ख) शामिल होगा (सूचना/आंकड़ों के प्रदाय को छोड़कर)

क. निम्नलिखित पर अनुमानित व्यय :

- (i) मानव शक्ति (विहित दरों पर)।

(ii) भौतिक निवेश/सेवाएं/उपयोगिताएं आदि, 25% अतिरिक्त व्यय सहित।

(iii) कच्चा माल/उपभोज्य कलपुर्जे, 25% अतिरिक्त व्यय सहित।

(iv) उपकरणों के प्रयोग से अवमूल्यन/प्रतिस्थापन की लागत।

(v) जेब खर्च में से कोई अन्य खर्च।

ख. बौद्धिक फीस/अवसर लागत। निदेशक अपने विवेक से ग्राहक के स्वभाव तथा उसकी भुगतान करने की क्षमता पर विचार करते हुए मात्रा निर्धारित करेंगे।

4.2 धन का वितरण

बौद्धिक फीस या शुद्ध बकाया का 20% (सेवा के लिए सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्ययों का लेखा करने के पश्चात् शेष राशि), जो भी कम हो, कर्मचारियों द्वारा अंशभाजित किया जाएगा। कर्मचारियों में अंशभाजन की विधि वहीं होगी, जो 1.3 में दी गई है।